Hemisphere Properties India Limited

CIN: U70101DL2005 GOI 132162
Regd Office Address: Room No.409, Sanchar Bhawan
Ashoka Road, New Delhi- 110001
Contact: 011- 23372136

The financial details and capital evolution of the Hemisphere Properties India Limited (Transferee Company) for the previous 3 years as per the audited statement of Accounts:

Name of the Company: Hemisphere Properties India Limited

(Rs. in Crores)

	As on 30.09.2017	As per last Audited Financial Year	1 year prior to the last Audited Financial Year	2 years prior to the last Audited Financial Year
	2017-18	**2016-17**	**2015-16**	**2014-15**
Equity Paid up Capital	0.050	0.050	0.050	0.050
Reserves and surplus	(-) 0.059	(-) 0.049	(-) 0.039	(-) 0.037
Carry forward losses	(-) 0.059	(-) 0.049	(-) 0.039	(-) 0.037
Net Worth	(-) 0.009	0.001	0.011	0.013
Miscellaneous Expenditure	0.050	0.019	0.016	0.006
Secured Loans	1.000	1.000	1.000	0
Unsecured Loans	0	0	0	0
Fixed Assets	0	0	0	0
Income from Operations	0	0	0	0
Total Income	0.020	0.059	0.064	0
Total Expenditure	0.030	0.069	0.066	0..006
Profit before Tax	(-) 0.010	(-) 0.010	(-) 0.002	(-) 0.006
Profit after Tax	(-) 0.010	(-) 0.010	(-) 0.002	(-) 0.006
Cash profit	0	0	0	0
EPS	Rs. (-) 1.970	Rs. (-) 2.040	Rs. (-) 0.410	Rs. (-) 1.120
Book value	10	10	10	10

For HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LTD.

For **Hemisphere Properties India Limited**

Authorised Signatory

Saurabh Kumar Tiwari
Chairman & Managing Director

ANNEXURE II

The financial details of companies for the previous 3 years as per the audited statement of Accounts:

Name of the Company: Tata Communications Limited

(Rs. in Crores)

	As per Un-audited financial Statement	As per last Audited Financial Year	1 year prior to the last Audited Financial Year	2 years prior to the last Audited Financial Year
	Half Year ended 30 September 2017 (Refer Note a)	2016-17 (Refer Note a)	2015-16 (Refer Note a)	2014-15 (Refer Note a)
Equity Paid up Capital	285.00	285.00	285.00	285.00
Reserves and surplus	8194.41	8970.21	8033.86	8066.83
Carry forward losses	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Worth	8479.41	9255.21	8318.86	8351.83
Miscellaneous Expenditure	NIL	NIL	NIL	NIL
Secured Loans	5.00	5.00	5.00	60.00
Unsecured Loans	610.43	732.25	678.79	520.64
Fixed Assets	4512.84	4493.42	4541.20	4410.34
Income from Operations	2545.41	5068.15	4790.32	4319.35
Total Income	2653.88	5051.24	4974.87	4989.88
Total Expenditure	2413.86	4670.22	4385.48	4035.57
Profit before Tax	38.99	1204.84	315.24	1003.27
(Loss)/ Profit after Tax	(46.72)	689.83	113.20	674.62
Cash profit (Refer Note b)	275.82	970.93	908.19	1461.00
EPS	1.64	24.20	3.97	23.67

Notes

a. Figures for financial year 2016-17 and half year ended 30 September 2017 is as per IND – AS and for financial year 2015-16 and 2014-15 is as per Indian GAAP.
b. Cash profit is net cash generated from operating activities

For Tata Communications Limited

Sudipto Das
Authorised Signatory

13 DEC 2017

TATA COMMUNICATIONS LIMITED MUMBAI

TATA COMMUNICATIONS
Tata Communications Limited
Communication Address : G Block, C 21 & 36, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400098
Regd. Office : VSB Mahatma Gandhi Road Fort Mumbai – 400 001
Tel 91 22 6659 1966 Fax 91 22 6725 1962 email : manish.sansi@tatacommunications.com
CIN no. : L64200MH1986PLC039266 web site : www.tatacommunications.com

Attachment A

TATA COMMUNICATIONS LIMITED

REGD. OFFICE: VSB, M.G. ROAD, FORT, MUMBAI-400001.

(₹ in Lakhs)

A. STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2017

	Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		For the year ended
		September 30 2017	June 30 2017	September 30 2016	September 30 2017	September 30 2016	March 31 2017
	(Refer notes below)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)
1	Income from operations	125381	129160	124852	254541	246904	506815
2	Other income, net (Refer note 2)	4148	6699	27048	10847	43322	(1691)
3	**Total Revenue (1+2)**	**129529**	**135859**	**151900**	**265388**	**290226**	**505124**
4	**Expenses**						
	a. Network and transmission expense	45615	50335	49482	95950	96584	192339
	b. Employee benefits expense	20992	22276	18989	43268	37457	75709
	c. Finance costs	1485	498	799	1983	1627	3068
	d. Depreciation and amortisation expense	19888	19100	18937	38988	37884	76458
	e. Other expenses	29840	31357	25400	61197	49322	119448
	f. Total expenses (4a to 4e)	**117820**	**123566**	**113607**	**241386**	**222874**	**467022**
5	**Profit from ordinary activities before exceptional items and tax (3 - 4)**	**11709**	**12293**	**38293**	**24002**	**67352**	**38102**
6	**Exceptional items:**						
	a. Net gain on partial sale of interest in subsidiary (Refer note 3)	-	-	-	-	-	169622
	b. Provision for contractual obligation (Refer note 4)	(18559)	-	-	(18559)	-	(87201)
	c. Staff cost optimization (Refer note 7)	-	-	-	-	-	(39)
	d. Provision for contingencies (Refer note 6)	(1544)	-	-	(1544)	-	-
7	**(Loss)/ Profit from ordinary activities before tax (5 + 6)**	**(8394)**	**12293**	**38293**	**3899**	**67352**	**120484**
8	**Tax (benefit)/ expense:**						
	a. Current tax	5252	7254	8602	12506	17878	60250
	b. Deferred tax	(791)	(3144)	2926	(3935)	2276	(8749)
9	**(Loss)/ Profit for the period (7 - 8)**	**(12855)**	**8183**	**26765**	**(4672)**	**47198**	**68983**
10	Other Comprehensive Income (net of tax)	(51770)	(557)	(730)	(52327)	(1137)	(18802)
11	**Total Comprehensive (Loss)/ Income (9 + 10)**	**(64625)**	**7626**	**26035**	**(56999)**	**46061**	**50181**
12	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10 per share)	28500	28500	28500	28500	28500	28500
13	Paid up Debt Capital				61543	94423	73725
14	Reserves excluding Revaluation Reserve						876415
15	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (not annualised)						
	Basic and diluted earnings per share ₹	(4.51)	2.87	9.39	1.64	16.56	24.20

B. Standalone Business Segment Information:

i. Segment wise revenue and results:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		For the year ended
	September 30 2017	June 30 2017	September 30 2016	September 30 2017	September 30 2016	March 31 2017
	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)
Income from Operations						
Voice Solutions	15123	17277	17696	32400	35003	76784
Data and Managed Services	110258	111883	107156	222141	211901	430031
Total	**125381**	**129160**	**124852**	**254541**	**246904**	**506815**
Segment result						
Voice Solutions	(14156)	(14192)	(17058)	(28348)	(32088)	(49386)
Data and Managed Services	23202	20284	29102	43486	57745	92247
Total	**9046**	**6092**	**12044**	**15138**	**25657**	**42861**
Less :						
(i) Finance Costs	1485	498	799	1983	1627	3068
(ii) Other un-allocable (income) net of un-allocable expenses	15955	(6699)	(27048)	9256	(43322)	(80691)
Profit/ (Loss) before taxes	**(8394)**	**12293**	**38293**	**3899**	**67352**	**120484**

ii. Segment Assets and Liabilities:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on			
	September 30 2017	June 30 2017	September 30 2016	March 31 2017
Segment Assets				
Voice Solutions	27387	27340	27288	27637
Data and Managed Services	563929	544541	548384	530214
Unallocable Assets	655254	757549	745420	756677
Total Assets	**1246570**	**1329430**	**1321092**	**1314528**
Segment Liabilities				
Voice Solutions	34209	26866	26983	27703
Data and Managed Services	241892	240384	216158	240443
Unallocable Liabilities	122528	149614	156748	120861
Total Liabilities	**398629**	**416864**	**399889**	**389007**

iii. Notes to Segments:

The Company's operating segments comprises of Voice Solutions and Data and Managed Services. The composition of the operating segments is as follows:

Voice Solutions include International and National Long Distance Voice services.

Data and Managed Services include corporate data transmission services, virtual private network, signaling and roaming services, television and other network and managed services.

TATA

C. Statement of Standalone Assets and Liabilities as at September 30, 2017

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at September 30 2017 (Unaudited)	As at March 31 2017 (Audited)
ASSETS		
Non-current assets		
(a) Property, plant and equipment	343230	339251
(b) Capital work-in-progress	44366	43119
(c) Investment property	24250	24333
(d) Other Intangible assets	35477	36110
(e) Intangible assets under development	3961	6529
(f) Financial assets		
(i) Investments	405153	456692
(ii) Loans	268	12
(iii) Other financial assets	15471	29831
(g) Deferred tax assets (net)	13408	9250
(h) Non-current tax assets (net)	151288	140631
(i) Other non-current assets	25256	25044
Total Non-current assets	**1062128**	**1110802**
Current assets		
(a) Inventories	1400	1483
(b) Financial assets		
(i) Other investments	38024	79930
(ii) Trade receivables	110937	80698
(iii) Cash and cash equivalents	7703	8693
(iv) Bank balance other than (iii) above	1584	1486
(v) Other financial assets	13845	11861
(c) Other current assets	10619	19243
	184112	**203394**
Assets classified as held for sale	330	332
Total Current assets	**184442**	**203726**
TOTAL ASSETS	**1246570**	**1314528**

C. Statement of Standalone Assets and Liabilities as at September 30, 2017

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at September 30 2017 (Unaudited)	As at March 31 2017 (Audited)
EQUITY AND LIABILITIES		
EQUITY		
(a) Equity share capital	28500	28500
(b) Other equity	819441	897021
	847941	**925521**
LIABILITIES		
Non-current liabilities		
(a) Financial liabilities		
(i) Borrowings	15500	15500
(ii) Other financial liabilities	3211	4270
(b) Provisions	23304	22874
(c) Other non-current liabilities	40790	43997
Total Non-current liabilities	**82805**	**86641**
Current liabilities		
(a) Financial liabilities		
(i) Borrowings	46043	58225
(ii) Trade payables	137883	117415
(iii) Other financial liabilities	54888	50695
(b) Provisions	5686	3215
(c) Current tax liability (net)	29141	25547
(d) Other current liabilities	42183	47269
Total Current liabilities	**315824**	**302366**
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	**1246570**	**1314528**

Notes to standalone financial results:

1. The standalone unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2017 have been subjected to a limited review by the statutory auditors. The above statement has been reviewed by the audit committee and taken on record and approved by the Board of Directors at their meeting held on October 25, 2017.

2. During the year ended March 31, 2017, other income includes a loss of ₹ 45323 lakhs on account of reduction in the fair value of preference shares of TCIPL on conversion into equity shares of TCIPL consequent to modification of terms of conversion.

3. During the quarter ended December 31, 2016, the Company has concluded the sale of 74% stake in Tata Communications Data Center Private Limited (TCDC) with Singapore Technologies Telemedia (ST Telemedia). Accordingly, the Company has recorded a gain of ₹ 169622 lakhs for the year ended March 31, 2017 (including the related adjustment for the quarter ended March 31, 2017).

4. During the previous year, as per the contractual obligation under the inter-se agreement, the Company paid an advance of ₹ 105800 lakhs to Tata Sons Limited, towards its share of NTT Docomo arbitration award, against which the Company provided ₹ 87201 lakhs during the year ended March 31, 2017, as per the Delhi High Court order dated April 28, 2017. Based on the recent developments at Tata Teleservices Limited (TTSL), the Company has made an additional provision of ₹ 18559 lakhs during the quarter ended September 30, 2017. These provisions have been adjusted against the escrow deposit included in Non-current – Other financial assets.

5. The Company has investment in the equity shares of TTSL which is recognised at fair value through Other Comprehensive Income. Based on the recent developments in TTSL, the Company has recognised a loss of ₹ 51553 lakhs in Other Comprehensive Income for the quarter ended September 30, 2017.

6. During the quarter, the Company has provided ₹ 1544 lakhs as provision for contingencies, for certain legal matters that have attained finality based on the judgment of respective court.

7. During the previous year, as part of its initiative to enhance the long-term efficiency of the business, the Company undertook organisational changes to align to the Company current and prospective business requirements. These changes involved certain positions in the Company becoming redundant and the Company incurred one time charge of ₹ 39 lakhs.

8. Previous periods figures have been rearranged wherever necessary to conform to the current period classifications/disclosures.

(₹ in Lakhs)

D. STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2017

	Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		For the year ended
		September 30 2017	June 30 2017	September 30 2016	September 30 2017	September 30 2016	March 31 2017
	(Refer notes below)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)
	CONTINUING OPERATION						
1	**Income from operations**	421761	431002	450909	852763	896595	1761973
2	Other income, net	2916	4437	7283	7353	16827	36029
3	**Total income from operations (1 + 2)**	**424677**	**435439**	**458192**	**860116**	**913422**	**1798002**
4	**Expenses**						
	a. Network and transmission expense	203742	213411	227164	417153	454005	881189
	b. Employee benefits expense	74259	72294	70212	146553	140303	283941
	c. Finance costs	8765	7613	9597	16378	18925	36719
	d. Depreciation and amortisation expense	48369	44465	46439	92834	93039	186577
	e. Other expenses	87310	89433	87285	176743	168843	356253
	Total expenses (4a to 4e)	**422445**	**427216**	**440697**	**849661**	**875115**	**1744679**
5	Profit before exceptional items, tax & share of profit/(loss) of associate (3 -4)	2232	8223	17495	10455	38307	53323
6	**Exceptional items:**						
	a. Provision for contractual obligation (Refer note 2)	(18559)	-	-	(18559)	-	(87201)
	b. Impairment of Goodwill	-	-	-	-	-	(16959)
	c. Staff cost optimization (Refer note 6)	(1238)	-	-	(1238)	-	(2173)
	d. Provision for Contingencies (Refer note 4)	(1544)	-	-	(1544)	-	-
7	**Profit/(Loss) from operations before tax and share of profit/(loss) of associate (5 - 6)**	**(19109)**	**8223**	**17495**	**(10886)**	**38307**	**(53010)**
8	Tax (benefit)/ expense:						
	a. Current tax	6779	9294	9704	16073	20275	27030
	b. Deferred tax	(899)	(4687)	(715)	(5586)	(3947)	(3392)
9	**Profit/(Loss) before share of profit/(loss) of associate (7 - 8)**	**(24989)**	**3616**	**8506**	**(21373)**	**21979**	**(76648)**
10	Share in Profit/(Loss) of Associates	147	(322)	(4)	(175)	(4)	508
11	**Profit/ (Loss) for the period from continuing operations (9+10)**	**(24842)**	**3294**	**8502**	**(21548)**	**21975**	**(76140)**

(₹ in Lakhs)

D. STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2017

	Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		For the year ended
		September 30 2017	June 30 2017	September 30 2016	September 30 2017	September 30 2016	March 31 2017
	(Refer notes below)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)
	DISCONTINUED OPERATION						
12	Profit/(Loss) before tax from discontinued operations	-	-	8627	-	9178	12331
13	Gain on sale of business and subsidiaries (Including impairment of goodwill)	-	-	(12500)	-	(21700)	242051
14	**Profit /(Loss) from Discontinued operations (before tax) (12+13)**	-	-	(3873)	-	(12522)	254382
15	Tax expense on Discontinued operations	-	-	580	-	1166	54696
16	**Profit /(Loss) from discontinued operations after tax (14-15)**	-	-	(4453)	-	(13688)	199686
17	**Net Profit/(Loss) from total operations (11+16)**	(24842)	3294	4049	(21548)	8287	123546
	Attributable to:						
	Shareholder of the Company	(25000)	3225	3996	(21775)	8174	123287
	Non controlling interest	158	69	53	227	113	259
18	Other Comprehensive Income/(Loss) (net of tax)	(56572)	1010	6979	(55562)	(11334)	86475
19	**Total Comprehensive Income/(Loss) (17+18)**	(81414)	4304	11028	(77110)	(3047)	210021
	Attributable to:						
	Shareholder of the Company	(81572)	4235	10975	(77337)	(3160)	209762
	Non controlling interest	158	69	53	227	113	259
20	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹10 per share)	28500	28500	28500	28500	28500	28500
21	Reserve excluding Revaluation Reserve	-	-	-	-	-	110084
22	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (not annualised) Basic and diluted earnings per share ₹						
	(i) Continuing Operations	(8.77)	1.13	2.96	(7.64)	7.67	(26.81)
	(ii) Total Operations	(8.77)	1.13	1.40	(7.64)	2.87	43.26

E. Consolidated Business Segment Information:

i. Consolidated Segment wise revenue and results:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		For the year ended
	September 30 2017	June 30 2017	September 30 2016	September 30 2017	September 30 2016	March 31 2017
	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)
Income from Operations						
Voice Solutions	143423	153335	178580	296758	358762	675832
Data and Managed Services	269127	268054	257170	537181	507673	1033971
Payment Solutions	9371	9795	15255	19166	30489	52810
Less:- Inter Segment Revenue	(160)	(182)	(96)	(342)	(329)	(640)
	421761	**431002**	**450909**	**852763**	**896595**	**1761973**
Discontinued Operations						
SAO	-	-	36230	-	72233	131874
Data Centre Services	-	-	21967	-	43449	55137
	-	-	**58197**	-	**115682**	**187011**
Total	**421761**	**431002**	**509106**	**852763**	**1012277**	**1948984**
Segment result						
Voice Solutions	9006	7650	9669	16656	18621	27884
Data and Managed Services	1554	8848	12611	10402	26591	23516
Payment Solutions	(3717)	(5099)	(2471)	(8816)	(4807)	(14346)
	6843	**11399**	**19809**	**18242**	**40405**	**37054**
Discontinued Operations						
SAO	-	-	7436	-	9617	(19763)
Data Centre Services	-	-	12511	-	22233	25923
	-	-	**19947**	-	**31850**	**6160**
Total	**6843**	**11399**	**39756**	**18242**	**72255**	**43214**
Less :						
(i) Finance Costs	8765	7613	17695	16378	34909	69132
(ii) Other un-allocable (income) net of un-allocable expenditure	17187	(4437)	8439	12750	11561	(227290)
Profit/(Loss) before taxes**	**(19109)**	**8223**	**13622**	**(10886)**	**25785**	**201372**

** Aggregate of profit/(loss) before taxes of Continuing and Discontinued operations

ii. Consolidated Segment Assets and Liabilities:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on			
	September 30 2017	June 30 2017	September 30 2016	March 31 2017
	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)
Segment Assets				
Voice Solutions	67699	85114	122080	92078
Data and Managed Services	1400951	1352245	1366294	1331367
Payment Solutions	61468	67366	73076	67769
	1530118	**1504725**	**1561450**	**1491214**
Discontinued Operations				
SAO	-	-	236285	-
Data Centre Services	-	-	127033	-
	-	-	**363318**	-
Unallocated Assets	447579	611848	613006	619015
Total Segment Assets	**1977697**	**2116573**	**2537774**	**2110229**
Segment Liabilities				
Voice Solutions	137468	134757	161320	140932
Data and Managed Services	795162	794013	788893	808699
Payment Solutions	19270	21142	24172	18990
	951900	**949912**	**974385**	**968621**
Discontinued Operations				
SAO	-	-	82141	-
Data Centre Services	-	-	20533	-
	-	-	**102674**	-
Unallocated Liabilities	963934	1022178	1514180	980581
Total Segment Liabilities	**1915834**	**1972090**	**2591239**	**1949202**

iii. Notes to Segments:

The Group's operating segments comprises of Voice Solutions, Data and Managed Services, Payment Solutions and South Africa Operations. The composition of the operating segments is as follows:

Voice Solutions (VS) include International and National Long Distance Voice services.

Data and Managed Services (DMS) include Corporate Data Transmission services, virtual private network, signaling and roaming services, television and other network and managed services, data center services.

Payment Solutions includes end-to-end ATM deployment end-to-end POS enablement hosted core banking end to end financial inclusion and card issuance and related managed services and switching services to banking sector carried out by Company's wholly owned subsidiary Tata Communications Payment Solutions Limited.

South Africa Operations (SAO) was carried out by the Company's subsidiary Neotel Pty Ltd. and comprise wholesale international voice and data transit enterprise business solution services for the wholesale and corporate market telephony and data services for retail customers in South Africa. Since the Company has successfully completed the sale of this operation during the previous year, this has been separately disclosed under discontinued operations.

Data Center services which is part of DMS has now been discontinued and has been separately disclosed under discontinued operations, as the Company has successfully completed the sale of 74% of its stake in this operation during the previous year.

F. Statement of Consolidated Assets and Liabilities as at September 30, 2017

(₹ in Lakhs)

Particulars		As at September 30 2017 (Unaudited)	As at March 31 2017 (Audited)
	ASSETS		
	Non-current assets		
(a)	Property, plant and equipment	919882	929269
(b)	Capital work-in-progress	59224	62932
(c)	Investment property	21387	21467
(d)	Goodwill	-	-
(e)	Other intangible assets	151931	142115
(f)	Intangible assets under development	7411	12160
(g)	Financial assets		
	(i) Investments		
	(a) Investments in associates	89239	89224
	(b) Other investments	26024	74242
	(ii) Loans	-	36595
	(iii) Other financial assets	17194	31229
(h)	Deferred tax assets (net)	9071	6904
(i)	Non-current tax asset (net)	161722	150642
(j)	Other non-current assets	35169	34871
	Total Non-current assets	**1498254**	**1591650**
	Current assets		
(a)	Inventories	1790	1920
(b)	Financial assets		
	(i) Investments	38024	79930
	(ii) Trade receivables	301408	259004
	(iii) Cash and cash equivalents	73693	100276
	(iv) Bank balance other than (iii) above	6443	7653
	(v) Other financial assets	14753	13291
(c)	Other current assets	42567	56173
		478678	**518247**
	Assets Classified as held for sale	765	332
	Total Current assets	**479443**	**518579**
	TOTAL ASSETS	**1977697**	**2110229**

TATA

F. Statement of Consolidated Assets and Liabilities as at September 30, 2017

(₹ in lakhs)

	Particulars	As at September 30 2017 (Unaudited)	As at March 31 2017 (Audited)
	EQUITY AND LIABILITIES		
	EQUITY		
(a)	Equity share capital	28500	28500
(b)	Other equity	32772	130690
	Equity attributable to equity holders of the parent	61272	159190
	Non-controlling interests	591	1837
	Total Equity	**61863**	**161027**
	LIABILITIES		
	Non-current liabilities		
(a)	Financial liabilities		
	(i) Borrowings	675892	681129
	(ii) Other financial liabilities	1459	1683
(b)	Provisions	50195	48395
(c)	Deferred tax liabilities (Net)	4013	7612
(d)	Other non current liabilities	349552	371166
	Total non-current liabilities	**1081111**	**1109985**
	Current liabilities		
(a)	Financial liabilities		
	(i) Borrowings	203599	156491
	(ii) Trade payables	383472	358138
	(iii) Other financial liabilities	86949	155858
(b)	Other current liabilities	119841	134480
(c)	Provisions	11484	8474
(d)	Current tax liabilities (Net)	29378	25776
		834723	839217
	Liabilities directly associated with assets classified as held for sale	-	-
	Total current liabilities	**834723**	**839217**
	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	**1977697**	**2110229**

Notes:

1. The above consolidated unaudited financial results of the Company along with its subsidiaries & associates (together referred to as "the Group") for the quarter and half year ended September 30 2017 have been subjected to a limited review by the statutory auditors. The above statement has been reviewed by the audit committee and taken on record and approved by the Board of Directors at their meeting held on October 25, 2017.

2. During the previous year, as per the contractual obligation under the inter-se agreement, the Company paid an advance of ₹ 105800 lakhs to Tata Sons Limited, towards its share of NTT Docomo arbitration award, against which the Company provided ₹ 87201 lakhs during the year ended March 31, 2017, as per the Delhi High Court order dated April 28, 2017. Based on the recent developments at Tata Teleservices Limited (TTSL), the Company has made an additional provision of ₹ 18559 lakhs during the quarter ended September 30, 2017. These provisions have been adjusted against the escrow deposit included in Non-current – Other financial assets.

3. The Company has investment in the equity shares of TTSL which is recognised at fair value through Other Comprehensive Income. Based on the recent developments in TTSL, the Company has recognised a loss of ₹ 51553 lakhs in Other Comprehensive Income for the quarter ended September 30, 2017.

4. During the quarter, the Company has provided ₹ 1544 lakhs as provision for contingencies, for certain legal matters that have attained finality based on the judgment of respective court.

5. During the previous year, the Group completed the sale of its 74% stake in India and Singapore data center business. The financial performance of these data center services for the quarter and half year ended September 30, 2016 and year ended March 31, 2017 has been disclosed as discontinued operations.

   Further, during the previous year, the Group successfully completed the sale of its entire shareholding in Neotel Pty Ltd. The financial performance of Neotel Pty Ltd for the quarter and half year ended September 30, 2016 and year ended March 31, 2017 has been disclosed as discontinued operations.

6. As part of its initiative to enhance the long-term efficiency of the business, the Group undertook organisational changes to align to the Group's current and prospective business requirements. These changes involved certain positions in the Group becoming redundant and the Group incurred one time charge of ₹ 1238 lakhs for the quarter and half year ended September 30, 2017 and ₹ 2173 lakhs for the year ended March 31,2017.

7. Previous periods figures have been rearranged wherever necessary to conform to the current period classifications/disclosures.

For TATA COMMUNICATIONS LIMITED

VINOD KUMAR
MANAGING DIRECTOR &
GROUP CEO

Place : Mumbai
Date : October 25, 2017

Attachment B

S.R. BATLIBOI & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants

14th Floor, The Ruby
29 Senapati Bapat Marg
Dadar (West)
Mumbai-400 028, India
Tel : +91 22 6192 0000
Fax : +91 22 6192 1000

Limited Review Report - Standalone Financial Results

Review Report to
The Board of Directors
Tata Communications Limited

We have reviewed the accompanying statement of unaudited standalone financial results of Tata Communications Limited (the 'Company') for the quarter ended September 30, 2017 and year to date from April 1, 2017 to September 30, 2017 (the "Statement") attached herewith, being submitted by the Company pursuant to the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016.

The preparation of the Statement in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting (Ind AS 34) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016 is the responsibility of the Company's management and has been approved by the Board of Directors of the Company. Our responsibility is to express a conclusion on the Statement based on our review.

We conducted our review in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the Statement is free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.

Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement, prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the applicable Indian Accounting Standards ('Ind AS') specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder and other recognised accounting practices and policies has not disclosed the information required to be disclosed in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

S.R. BATLIBOI & ASSOCIATES LLP ★ MUMBAI ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

S.R. BATLIBOI & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants

The comparative Ind AS financial information of the Company for the corresponding quarter and half year ended September 30, 2016 were reviewed by the predecessor auditor and the Ind AS financial statements of the Company for the year ended March 31, 2017, were audited by predecessor auditor who expressed modified opinion on those financial information on November 8, 2016 and May 4, 2017, respectively.

For S.R. Batliboi & Associates LLP
ICAI Firm registration number: 101049W/E300004
Chartered Accountants

per Prashant Singhal
Partner
Membership No.: 93283
Place: Mumbai
Date: October 25, 2017

S.R. BATLIBOI & ASSOCIATES LLP
Chartered Accountants

14th Floor, The Ruby
29 Senapati Bapat Marg
Dadar (West)
Mumbai-400 028, India
Tel : +91 22 6192 0000
Fax : +91 22 6192 1000

Limited Review Report - Consolidated financial results

Review Report to
The Board of Directors
Tata Communications Limited

1. We have reviewed the accompanying statement of unaudited consolidated financial results of Tata Communications Limited (the 'Company') comprising its subsidiaries (together referred to as 'the Group') and its associates, for the quarter ended September 30, 2017 and year to date from April 1, 2017 to September 30, 2017 (the "Statement") attached herewith, being submitted by the Company pursuant to the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016.

2. The preparation of the Statement in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting (Ind AS 34) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016 is the responsibility of the Company's management and has been approved by the Board of Directors of the Company. Our responsibility is to issue express a conclusion on the Statement based on our review.

3. We conducted our review in accordance with the Standard on Review Engagements (SRE) 2410, Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the Statement is free of material misstatement. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data and thus provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and accordingly, we do not express an audit opinion.

4. The consolidated unaudited financial results include the Group's share of net profit of Rs 147 lakhs and net loss of Rs 175 lakhs for the quarter and for the period ended September 30, 2017, as considered in the consolidated financial results, in respect of five associates, whose financial information have not been reviewed by other auditors and is as certified by the Management. Our opinion, in so far as it relates to the affairs of such associates is based solely on the interim information provided by the Management. Our opinion is not modified in respect of this matter.

5. Based on our review conducted as above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying Statement of unaudited consolidated financial results prepared in accordance with recognition and measurement principles laid down in the applicable Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder and other recognized accounting practices and policies has not disclosed the information required to be disclosed in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016, including the manner in which it is to be disclosed, or that it contains any material misstatement.

6. The comparative Ind AS financial information of the Company for the corresponding quarter and half year ended September 30, 2016 were reviewed by the predecessor auditor and the Ind AS consolidated financial statements of the Company for the year ended March 31, 2017, were audited by predecessor auditor who expressed modified opinion on those consolidated financial statements on November 8, 2016 and May 4, 2017, respectively.

For S.R. Batliboi & Associates LLP
ICAI Firm registration number: 101049W/E300004
Chartered Accountants

per Prashant Singhal
Partner
Membership No.: 93283
Place: Mumbai
Date: October 25, 2017

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल) वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LIMITED (HPIL) Annual Report 2016-17

For HEMISPHERE PROPERTIES INDIA LTD.

Authorised Signatory

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	03
प्रस्तावना	04
नोटिस	05
निदेशकों की रिपोर्ट	10
लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	23
तुलन-पत्र	32
लाभ और हानि का विवरण	33
भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणी	45

Contents

	Page No
Board of Directors	46
Preface	47
Notice	48
Directors' Report	52
Auditor's Report	61
Balance Sheet	72
Statement of Profit & Loss	73
Comments of C & AG	92

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री सौरभ कुमार तिवारी

निदेशक

श्री सी.वी. मनोज कुमार

श्री शिबा प्रसाद मोहपात्रा

लेखा-परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स ए. ई. पी. एन. एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

309 और 516 जैना टॉवर-1

डिस्ट्रिक सेंटर, जनकपुरी,

नई दिल्ली- 110058

प्रस्तावना

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच.पी.आई.एल.)

विदेश संचार निगम लिमिटेड - वी.एस.एन.एल. (अब टाटा कम्युनिकेशंस लि.) सन् 2002 में अनुकूल बिक्री के समय अपनी 25 प्रतिशत साझेदारी (स्टेक), चार स्टेशनों पर कुल 1230.13 एकड़ भूमि में से 773.13 एकड़ माप की अतिरिक्त भूमि सीमांकित की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि अतिरिक्त भूमि विनिवेश बोली की भाग नहीं होगी तथा एक पृथक भूसम्पत्ति (रियल्टी) कम्पनी द्वारा ये व्यवस्थित की जाएगी। इस भूमि पर सरकार के अधिकार शेयर क्रय करार (एस.पी.ए.) तथा शेयर धारक करार (एस.एच.ए.) में निगमित व्यवस्था की स्कीम के माध्यम से संरक्षित किए गए थे।

तत्पश्चात्, सामरिक भागीदार के द्वारा एक नई कम्पनी नामतः हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एच.पी.आई.एल.) का गठन जनवरी, 2005 में किया गया तथा सरकार ने कम्पनी का 2014 में 51.12 प्रतिशत बहुमत शेयरधारिता प्राप्त किया। इस प्रकार एच.पी.आई.एल दूरसंचार विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया और सरकार कम्पनी की मुख्य प्रबंधक बन गई। कम्पनी का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा अधिशेष भूमि की खरीद-बिक्री तथा किसी अन्य तरीके से निर्माण, अधिग्रहण, प्रबंधन, विकास, प्रशासन, रक्षा आदि शामिल है।

टाटा कम्युनिकेशन (टीसीएल) से एचपीआईएल को अधिशेष भूमि के विलय की सुविधा के लिए व्यवस्था की योजना को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त प्रगति की गई है। शीर्षक विलेख, भौतिक सत्यापन, सीमांकन और अधिशेष भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया का कार्य प्रगतिशील है। विभिन्न वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, व्यवस्था की योजना को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सामने रखा जाएगा। अधिकृत शेयर पूंजी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयरों की डिमटेरिअलायजेशन, लिस्टिंग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, आदि में आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड
सीआईएन: यू70101डीएल2005जीओआई132162
पंजीकृत कार्यालय का पता : कक्ष संख्या 409, संचार भवन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ई-मेल आईडी : ddglf2-dot@nic.in
सम्पर्क संख्या : 23372136

सामान्य वार्षिक बैठक की सूचना (नोटिस)

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की स्थगित की गई 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 को सांय 3.00 बजे समिति कक्ष, द्वितीय तल, संचार भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य के लिए होगी:-

साधारण कार्य :

1. 31 मार्च, 2017 को लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और उन पर निदेशकों एवं लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना।
2. श्री सौरभ कुमार तिवारी (डीआईएन:03606497) जो चक्रानुक्रम के अनुसार सेवानिवृत्त हुए हैं और पात्र हैं, स्वयं की पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।
3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखा-परीक्षक का पारिश्रमिक निश्चित और उस पर विचार करना।

विशेष कार्य :

4. **<u>कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि :</u>**

निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के तौर पर, यदि ठीक समझे, संशोधन (नों) सहित अथवा संशोधन बिना पारित करना और विचार करना :

"संकल्प लिया जाता है कि कम्पनी (शेयर पूंजी और ऋण-पत्र) नियमावली, 2014 (उस समय लागू किसी सांविधिक आशोधन/आशोधनों अथवा तत्संबंधी पुनर्अधिनियमन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 कि धारा 61(1)(क) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 25,00,000/- रूपये (पच्चीस लाख रूपये) को 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) शेयर में विभाजित करते हुए प्रत्येक समान शेयर 10/- रूपये (दस रूपये) को 100,000,000,000/- रूपये (दस हजार करोड़ रूपये) को 9,000,000,000 (नो सौ करोड़) शेयर में विभाजित कर 10/- रूपये (दस रूपये) के समान शेयर तक बढ़ाने के लिए एतदद्वारा सदस्यों की सहमति प्रदान की जाएगी अथवा की जाती है, जो कम्पनी के मौजूदा समान शेयर और 1,000,000,000 (एक सौ करोड़) शेयर को 10/- रूपये (दस रूपये) के शेयर में वरीयता प्रदान करते हुए तथा कम्पनी के संघ ज्ञापन के खंड V में, निम्नलिखित शब्दों तथा आंकड़ों तक बढ़ाया जाए:

"कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 25,00,000/- रूपये (पच्चीस लाख रूपये) है जिसे 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) शेयर में विभाजित करते हुए प्रत्येक समान शेयर 10/- रूपये (दस रूपये) का रखा जाता है, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :

"कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 100,000,000,000/- रूपये (दस हजार करोड़ रूपये) है, जिसे 9,000,000,000 (नो सौ करोड़) शेयर में विभाजित करते हुए प्रत्येक समान शेयर 10/- रूपये (दस

रूपये) रखा जाता है और 1,000,000,000 (एक सौ करोड़) शेयर में प्रत्येक वरीयता शेयर 10/- रूपये (दस रूपये) रखा जाता है।

"इसके अतिरिक्त, यह संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड निदेशकों को एतदद्वारा संयुक्त तौर पर और पृथक-पृथक तौर ऐसे सभी कार्य करने, संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए कार्य करने तथा कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

5. **<u>कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अंतर्गत धनराशि उधार :</u>**

निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के तौर पर, यदि ठीक समझे, संशोधन (नों) सहित अथवा संशोधन बिना पारित करना और विचार करना

"संकल्प लिया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(ग) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून (किसी सांविधिक आशोधन अथवा तत्संबंधि संशोधन या उस समय लागू किसी तत्संबंधी पुनर्अधिनियमन सहित) तथा कम्पनी की संघ नियमावली के अर्थो में कम्पनी के सदस्यों की सहमति, एतदद्वारा कम्पनी के बोर्ड निदेशकों की सहमति प्रदान की जाती है अथवा प्रदान कि जाएगी (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा जायेगा तथा इस शब्द में इस संकल्प के माध्यम से बोर्ड द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति को शामिल किया जाएगा), यह सहमति समय-समय पर ऐसी शर्तो और निबंधनों तथा कम्पनी के कारोबार के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली धनराशि को उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है तथा इसमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि कम्पनी द्वारा पहले ही उधार ली गई धनराशि के साथ ही इस प्रकार उधार ली जाने वाली धनराशि (कम्पनी द्वारा सामान्य कारोबार में कम्पनी के बैंकर से प्राप्त किए गए अस्थायी ऋणों के अतिरिक्त) भुगतान की गई शेयर पूंजी तथा कम्पनी के मुक्त रिजर्व के कुल योग से अधिक होती है अथवा नहीं, बशर्ते हालांकि एक समय कुल उधार ली गई बकाया राशि 50 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को एतदद्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार के पास प्रपत्र भरने सहित एक संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्य, विलेख और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो आवश्यक हो, वांछनिय हो अथवा सामयिक हो।"

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड
के बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से
ह0/-
(सौरभ कुमार तिवारी)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03606497
पता: टाइप डी-आई / ई 701,
केन्द्रीय सरकार अफसरों के अपार्टमेंट
बापू धाम, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021

नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2017

टिप्पणियां :

1. बैठक में भाग लेने तथा मत डालने का पात्र एक सदस्य स्वयं के स्थान पर एक परोक्षी को बैठक में भाग लेने तथा मत डालने के लिए नियुक्त करने का पात्र भी है और परोक्षी का कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।
2. परोक्षी प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। तथापि, परोक्षी को नियुक्त करने का दस्तावेज बैठक के प्रारंभ होने से पूर्व 48 घंटे (अड़तालीस) पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा।
3. एक व्यक्ति 50 सदस्यों और जिनकी कंपनी की कुल शेयर पूंजी में 10 प्रतिशत तक धारिता होगी, की ओर से परोक्षी के रूप में कार्य कर सकता है। तथापि, एक सदस्य जिसके पास कम्पनी की कुल शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारित है और मताधिकार प्राप्त है, एकल व्यक्ति को परोक्षी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा सदस्य के लिए परोक्षी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो तत्काल सूचित करें।

ई- वे सदस्य जिन्होंने अपनी-अपनी ई-मेल आईडी अभी तक कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं कराई है, वे अपनी-अपनी ई-मेल आईडी कम्पनी को सूचित करेंगे।

6. कम्पनी के वे सदस्य जिनका विचार बैठक में भाग लेने के लिए अपने-अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) को भेजने का है, उनसे अनुरोध है कि बैठक में उनकी ओर से भाग लेने तथा उनकी ओर से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने-अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करने वाली बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति भेजें।
7. मार्ग नक्शा तथा बैठक स्थल का मुख्य सीमांकन (लैंडमार्क) इस पत्र के साथ संलग्न है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।
8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड
सीआईएन: यू70101डीएल2005जीओआई132162
पंजीकृत कार्यालय का पता : कक्ष संख्या 409, संचार भवन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ई-मेल आईडी : ddglf2-dot@nic.in
सम्पर्क संख्या : 23372136

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालना में विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानो के अनुरूप निम्नलिखित विवरण में दिनांक 25.08.2017 के नोटिस में उल्लिखित विशेष कारोबार संबंधी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का निर्धारण किया गया है।

मद सं.4

कंपनी के निदेशक बोर्ड का मानना है कि कंपनी की मौजूदा शेयर पूंजी कंपनी के भविष्य के कारोबार के लिए अपर्याप्त होगी। इसलिए, कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी को 25,00,000 रूपये (पच्चीस लाख रूपये) को 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) शेयर में विभाजित करते हुए प्रत्येक समान शेयर 10 रूपये (दस रूपये) को 100,000,000,000 रूपये (दस हजार करोड़ रूपये) को 9,000,000,000 (नो सौ करोड़) शेयर में विभाजित कर 10 रूपये (दस रूपये) के समान शेयर में वरियता प्रदान करते हुए किया जाएगा। और 1,000,000,000 (एक सौ करोड़) शेयर की वरीयता शेयर 10/- (रुपये 10) प्रत्येक इसी तरह एक साधारण रिजोल्यूशन के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। बोर्ड उसी की सिफारिश करता है।

- प्रस्तावित साधारण संकल्प में किसी भी निदेशक का कोई वित्तीय अथवा आर्थिक संबंध या अन्य हित नहीं होगा।
- किसी भी निदेशक के किसी संबंधी का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई वित्तीय अथवा आर्थिक संबंध या अन्य हित नहीं होगा।

मद सं. 5

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसार, कंपनी की कुल भुगतान की शेयर पूंजी और इसके मुक्त रिजर्व से अधिक धनराशि उधार लेने (कंपनी द्वारा अपने सामान्य कारोबार में कंपनी बैंकर्स से प्राप्त अस्थायी ऋणों को छोड़कर) के लिए विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है।
कंपनी द्वारा निकट भविष्य में अपने कारोबारी प्रचालनों के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधियों के अतिरिक्त कंपनी की भुगतान की गई कुल शेयर पूंजी और मुक्त रिजर्व से अधिक धनराशि उधार लेने के लिए निदेशक बोर्ड को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम 50 करोड़ रूपये की सीमा के अध्यधीन होगा। आपके निदेशकों ने कंपनी के श्रेष्ठ हित में उक्त संकल्प को विजय संकल्प के तौर पर पारित करने हेतु सदस्यों के अनुमोदन की सिफारिश की।

≅ प्रस्तावित साधारण संकल्प में किसी भी निदेशक का कोई वित्तीय अथवा आर्थिक संबंध या अन्य हित नहीं होगा।

- किसी भी निदेशक के किसी संबंधी का प्रस्तावित साधारण संकल्प में कोई वित्तीय अथवा आर्थिक संबंध या अन्य हित नहीं होगा।

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड
के बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

ह0/-
(सौरभ कुमार तिवारी)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03606497
पता: टाइप डी-आई / ई 701,
केन्द्रीय सरकार अफसरों के अपार्टमेंट
बापू धाम, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली 110021

नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2017

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य,

आपके निदेशकों को कम्पनी की 13वीं वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों के लेखा-परीक्षित विवरणों के साथ प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

वित्तीय परिणाम तथा प्रचालन

कम्पनी के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नलिखित हैं :

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष राशि (भारतीय रू.)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष राशि (भारतीय रू.)
प्रचालन से राजस्व	-	-
अन्य आय	5,88,125	6,38,354
कुल आय	5,88,125	6,38,354
कुल व्यय	6,89,950	6,59,065
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(1,01,825)	(20,711)
वर्तमान में कर	-	-
अस्थगित कर	-	-
कर के बाद निवल लाभ/(हानि)	(1,01,825)	(20,711)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान रू 20,711. की हानि के मुकाबले रू.1,01,825 की निवल हानि दर्ज की। आपके निदेशक कम्पनी के भावी विकास की सतत रूप से कोशिश कर रहे हैं।

लाभांश

कम्पनी को हुई हानि के कारण, निदेशकों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की।

आरक्षित

चूंकि कम्पनी को हानि हुई है, अत: बोर्ड ने आरक्षित में कोई भी राशि ले जाने पर रोक लगा दी है।

अदावी लाभांश का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं क्योंकि कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया गया था तथा पिछले वर्ष नहीं दिया गया था।

वित्तीय वर्ष के अंत जिससे यह वित्तीय विवरण सम्बद्ध है और रिपोर्ट की तारीख के बीच उत्पन्न हुई कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा वचनबद्धताएं, यदि कोई हों

वित्तीय वर्ष के अंत जिससे यह वित्तीय विवरण सम्बद्ध है और रिपोर्ट की तारीख के बीच उत्पन्न हुई कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा वचनबद्धता नहीं है।

ऊर्जा का संरक्षण प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा लागत (आउटगो)

समीक्षाधीन अवधि के लिए कम्पनी के कार्यकलापों में ऐसी कोई सूचना निहित नहीं है जिसका ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, आमेलन के संरक्षण के संबंध में कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2013 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(ड) के प्रावधानों के अनुसार यथा-अपेक्षित प्रकट करना अपेक्षित हो।

कम्पनी की विकास तथा जोखिम प्रबंधन नीति के क्रियान्वयन के संबंध में विवरण

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन की कोई नीति नहीं है क्योंकि कम्पनी की मौजूदगी की जोखिम-आशंका के कारक बहुत ही न्यूनतम हैं।

कम्पनी द्वारा अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों की पहलों पर विकसित तथा क्रियान्वित नीति के ब्यौरे
कम्पनी ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलें विकसित तथा क्रियान्वित नहीं की हैं क्योंकि ये प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किए गए ऋण, गारंटी अथवा निवेशों के विवरण
आलोच्य अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कम्पनी द्वारा ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किए गए हैं और इस प्रकार उक्त प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं।

सम्बद्ध पक्षों के साथ की गई संविदाओं अथवा प्रबंधों के विवरण
आलोच्य अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत यथा-परिभाषित सम्बद्ध पक्षों के साथ कोई संविदा अथवा प्रबंध नहीं किए गए थे।

लेखा-परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्टों में अर्हताओं, आरक्षणों अथवा प्रतिकूल-अभ्युक्तियों अथवा दावा छोड़ने पर की गई व्याख्या अथवा टिप्पणियां
उनकी रिपोर्ट में ऑडिटर द्वारा बनाई गई कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं थीं। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।
निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान और उनके कर्तव्यों का निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति।
नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं और इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अंतर्गत यथा प्रदत्त कम्पनी ने निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की अर्हताओं, सकारात्मक अधिकारों, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर कोई नीति तैयार नहीं की है।

वार्षिक-विवरणी
कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम-12 के साथ पठित धारा-92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक-विवरणी के उद्धरण **अनुलग्नक-1** में दिए गए हैं और यह अनुलग्नक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

समीक्षा वर्ष के दौरान संचालित की गई बोर्ड की बैठकों की संख्या
वर्ष 2016-17 के दौरान, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार शासी-बोर्ड की 6 (छः) बैठकें आयोजित की गई थीं जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का दो बैठकों के बीच समय-अंतरालों पर विचार करते समय अनुसरण किया गया था।

क्र.सं.	बैठक की तारीख
1	14.06.2016
2	14.09.2016
3	20.09.2016
4	07.11.2016
5	27.01.2017
6	27.03.2017

और बोर्ड की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है :

निदेशक के नाम	बोर्ड की बैठक में भाग लिया

सौरभ कुमार तिवारी	6
शीबा प्रसाद मोहपात्रा	6
सी.वी. मनोज कुमार	2

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

आपके निदेशक यह उल्लेख करता हैं कि

I. वार्षिक लेखों को तैयार करने में, प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ किया गया।

II. निदेशकों ने ऐसी लेखा-नीतियों का चयन किया था तथा समुनरूप से उन्हें प्रयुक्त किया और वे निर्णय लिए और प्राक्कलन तैयार किए जो वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के सत्य तथा उचित कार्यकलापों और उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ-हानि को दर्शाने के उद्देश्य से युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण हैं।

III. निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा-रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उपयुक्त और पर्याप्त देखरेख की।

IV. निदेशकों ने चल रही संस्था के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए; और

V. निदेशकों ने प्रयोज्य विधियों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त पद्धति तैयार की तथा ऐसी पद्धतियां पर्याप्त थीं और कारगर रूप से प्रचालन में थीं।

कार्य-स्थल पर यौन प्रताड़ना का निवारण (पीओएसएच)

चूंकि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में कोई महिला कर्मचारी नहीं थी, इसलिए कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान यौन प्रताड़ना निवारण हेतु कोई नीति तैयार नहीं की है। हालांकि, कंपनी प्रबंधन जब कभी भी कंपनी में महिला कर्मचारीयों की तैनाती की जाएगी तब उनके कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना का निवारण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा।

कर्मचारियों का ब्यौरा और संबंधित प्रकटीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी वैतनिक कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की, इसलिए कंपनी के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिको की नियुक्ति और परिलब्धियां) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (एक्ट) की धारा 197(12) के अंतर्गत अपेक्षित परिलब्धियों और अन्य ब्यौरों का प्रकटीकरण लागू नहीं है।

सहायक, संयुक्त-उद्यम तथा सहयोजित कम्पनियां

कम्पनी की कोई सहायक, संयुक्त-उद्यम अथवा सहयोजित कम्पनी नहीं है।

जमा-राशियां

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो कोई जमा-राशि स्वीकार की है न ही नवीकृत की है।

निदेशक

श्री सौरभ कुमार तिवारी (डीआईएन:03606497), जो अनुवर्ती वार्षिक आम सभा में चक्रानुक्रम के अनुसार सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, ने पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित धारा 149 के प्रावधान इस कम्पनी पर लागू नहीं होते।

लेखा-परीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 का धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मैसर्स ए.ई.पी.एन. एण्ड एसोसिएट्स,** सनदी लेखाकार **(फर्म पंजीकरण संख्या 005842एन)** को वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया, जो कंपनी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक के समापन तक कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के पद पर कार्य करेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने **मैसर्स ए.ई.पी.एन. एण्ड एसोसिएट्स,** सनदी लेखाकार **(फर्म पंजीकरण संख्या 005842एन)** को वर्ष 2017-18 के लिए पुन: नियुक्त किया। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में किया जाएगा।

लेखा-परीक्षा समिति के गठन का प्रकटन तथा सतर्क-तन्त्र प्रदान करना

कम्पनी (बोर्ड की बैठकें तथा इसकी शक्तियां) नियमावली, 2013 के नियम 6 और 7 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

शेयर

क. प्रतिभूतियों का पुन: क्रय

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति का पुन: क्रय नहीं किया है।

ख. उद्यम इक्विटी

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी उद्यम इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है।

ग. बोनस शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किया गया।

घ. कर्मचारियों की स्टॉक विकल्प-योजना

कम्पनी ने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की है।

आभार

आपके निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंकर्स, व्यवसाय-एसोसिएट्स, परामर्शदाताओं तथा विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों का आपकी कम्पनी के कार्यकलापों को अपनी-अपनी सतत सहायता प्रदान करने के लिए वास्तविक रूप से धन्यवाद करते हैं। आपके निदेशक शेयरधारकों का आपकी कम्पनी में उनके सहयोग और रखे गए विश्वास का कृतज्ञता से आभार व्यक्त करते हैं।

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड
के बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह0/-
सौरभ कुमार तिवारी
(निदेशक)
डीआईएन: 03606497
पता: टाइप डी-आई / ई 701,
केन्द्रीय सरकार अफसरों के अपार्टमेंट
बापू धाम, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली 110021

दिनांक : 31.07.2017
स्थान : दिल्ली

अनुलग्नक 1

फार्म सं.एमजीटी-9

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

वार्षिक-विवरणी का उद्धरण

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे:		
1.	**सीआईएन:-**	यू70101डीएल2005जीओआई132162
2.	**पंजीकरण की तारीख:-**	17.01.2005
3.	**कम्पनी का नाम :-**	हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड
4.	**कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी:-**	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी संघ सरकारी कम्पनी
5.	**पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क के ब्यौरे:-**	कक्ष सं.409, संचार भवन, अशोक रोड, नई दिल्ली-1
6.	**ई-मेल आईडी:-**	Tewari_saurabh@yahoo.co.in
7.	**क्या कम्पनी सूचीबद्ध है**	नहीं
8.	**रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता और सम्पर्क के ब्यौरे, यदि कोई हो:-**	लागू नहीं

II. कम्पनी के प्रधान व्यवसाय के कार्यकलाप			
(कम्पनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा इससे अधिक का अंशदान करने वाले सभी व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप)			
क्र.सं.	नाम तथा प्रमुख उत्पाद/सेवा का विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	स्व तथा पट्टे की सम्पत्ति के साथ रीयल इस्टेट कार्यकलाप	681	100

III. धारक, सहायक और सहयोजित कम्पनियों का विवरण					
क्र.सं.	कम्पनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ सहयोजित	धारित शेयरों का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर धारण पद्धति			
(कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)			
(i) श्रेणी-वार शेयर धारण			
शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या [31-**मार्च**-2016 को]	वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31-**मार्च**-2017 को]	वर्ष के दौरान परिवर्तन

	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	प्रतिशत
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) वैयक्तिक/एचयूएफ	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ख) केन्द्र सरकार	-	25,560	25,560	51.12%	-	25,560	25,560	51.12%	0.00%
ग) राज्य् सरकार(रें)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
घ) निकाय/निगम	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थाए	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
च) कोई अन्य	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
उप-जोड़ (क)(1):	-	25,560	25,560	51.12%	-	25,560	25,560	51.12%	0.00%
(2) विदेशी									
क) एनआरआई-वैयक्तिक	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ख) अन्य - वैयक्तिक	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ग) निकाय/निगम	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
घ) कोई अन्य	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
उप-जोड (क)(2):	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
कुल (क)	-	25,560	25,560	51.12%	-	25,560	25,560	51.12%	0.00%
ख. सार्वजनिक शेयरधारण									
1. संस्थाएं									
क) म्युचुअल फंड्स	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ख) बैंक/वि.सं.	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
घ) राज्य् सरकार(रें)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ड.) उद्यम-पूंजीगत निधि	- -	- -	- -	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
छ) एंफआईआई	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ज) विदेशी उद्यम	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%

पूंजीगत निधियां									
झ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
उप-जोड़ (ख)(1):	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
2. गैर-संस्थाएं									
क) निकाय निगम									
i) भारतीय	-	24,440	24,440	48.88%	-	24,440	24,440	48.88%	0.00%
ii) विदेशी	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ख) वैयक्तिक									
i) 1 लाख रू. तक नामांकित शेयर पूंजी धारित वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
ii) 1 लाख रू. से अधिक नामांकित शेयर पूंजी धारित वैयक्तिक शेयरधारक	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
c) अन्य (उल्लेख करें)									
एनआरआई	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	- -	- -	- -	0.00%	- -	- -	- -	0.00%	0.00%
विदेशी नागरिक	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
न्यास	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
विदेशी निकाय - डी आर	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
उप-जोड़ (ख)(2):	-	24,440	24,440	48.88%	-	24,440	24,440	48.88%	0.00%
कुल सार्वजनिक शेयर धारण (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	-	24,440	24,440	48.88%	-	24,440	24,440	48.88%	0.00%

ग. जीडीआर तथा एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	0.00%				0.00%	0.00%
कुल जोड़ (क+ख+ग)	-	50,000	50,000	100.00%	-	50,000	50,000	100.00%	0.00%

(ii) प्रवर्तक की शेयर धारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का गिरवी/ ऋण ग्रस्त व शेयर प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का गिरवी/ऋण ग्रस्त व शेयर प्रतिशत	
1	श्री शशि रंजन (राष्ट्रपति के नामिति के रूप में)	10,000	20.00%	-	10,000	20.00%	-	0.00%
2	श्री आर. एम. अग्रवाल (राष्ट्रपति के नामिति के रूप में)	10,000	20.00%	-	10,000	20.00%	-	0.00%
3	श्री राजीव कुमार (राष्ट्रपति के नामिति के रूप में)	2,780	5.56%	-	2,780	5.56%	-	0.00%
4	श्री देवातोष मन्ना (राष्ट्रपति के नामिति के रूप में)	2,777	5.55%	-	2,777	5.55%	-	0.00%
5	श्री राजीव श्रीवास्त्व (राष्ट्रपति के नामिति के रूप में)	1	0.00%	-	1	0.00%	-	0.00%
6	श्री पवन गुप्ता (राष्ट्रपति के नामिति के रूप में)	1	0.00%	-	1	0.00%	-	0.00%
7	श्री इन्द्रजीत हड्डा (राष्ट्रपति के नामिति	1	0.00%	-	1	0.00%	-	0.00%

	के रूप में)							

(iii) प्रवर्तक के शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करें, अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है) **कोई परिवर्तन नहीं**

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	कारण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
	साल की शुरुआत में	01.04.2016			0.00%	-	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				0.00%	-	0.00%
	साल के अंत में	31.03.2017			0.00%	-	0.00%

(iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों के शेयरधारक प्रतिरूप

(निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा):

क्र.सं.	सर्वोच्च 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	दिनांक	कारण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
1	**मैसर्स पैनटोन फिनवेस्ट लिमिटेड**						
	साल की शुरुआत में	01.04.2016		24,440	48.88%	24,440	48.88%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	0.00%	-	0.00%
	साल के अंत में	31.03.2017		24,440	48.88%	24,440	48.88%

(v) निदेशकों और कुंजी प्रबंधकीय कार्मिकों के शेयरधारक:

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशकों का शेयरधारक और प्रत्येक कुंजी प्रबंधकीय कार्मिक	दिनांक	कारण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
				शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत

	साल की शुरुआत में	01.04.2016		-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन			-	0.00%	-	0.00%
	साल के अंत में	31.03.2017		-	0.00%	-	0.00%

V. ऋण

बकाया / अर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणी, लेकिन भुगतान के कारण नहीं।

(राशि रु / लाख)

विवरण	जमा धनराशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा धनराशि	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणी				
i) मुख्य राशि	-	1,00,00,000	-	1,00,00,000
ii) ब्याज देय राशि, लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	1,00,00,000	-	1,00,00,000
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणी में बदलाव				
* वृद्धि	-	-	-	-
* कमी	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणी				
i) मुख्य राशि	-	1,00,00,000	-	1,00,00,000
ii) ब्याज देय राशि, लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	1,00,00,000	-	1,00,00,000

VI. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी की पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक /	कुल राशि

		प्रबंधक का नाम		
	नाम			(रु / लाख)
	पद			
1	कुल वेतन			
	(a) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-
	(b) लाभ / मूल्य 17 (2) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार	-	-	-
	(c) 17/2 (2) आयकर अधिनियम, 1961 के मूल्यों का मूल्य धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले आयकर अधिनियम, 1961	-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-
4	कृत्य	-	-	-
	- लाभ का प्रतिशत के रूप में	-	-	-
	- अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-
5	अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-
	कुल (A)	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार सीमा			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि (रु / लाख)
1	स्वतंत्र निदेशक				-
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क				-
	कृत्य				-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				-
	कुल (1)	-	-	-	
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों				-
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क				-
	कृत्य				-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				-

	कुल (2)	-	-	-	-
	कुल ख=(1+2)	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				-
	अधिनियम के अनुसार कुल मिलाकर उच्चतम सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	प्रबंधकीय कर्मियों के नाम			कुल राशि
	नाम				रु / लाख
	पद	सीईओ	सीएफओ	सीएस	
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				-
	(ख) लाभों का मूल्य / 17 की धारा (2) आयकर अधिनियम, 1961				-
	(ग) धारा 17 (3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के बदले मुनाफा				-
2	स्टॉक का विकल्प				-
3	उद्यम इक्विटी				-
4	कृत्य				
	- लाभ का प्रतिशत के रूप में				-
	- अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				-
	कुल	-	-	-	-

VII. अपराध संबंधी दंड/सजा/प्रशमित:

प्रकार	कम्पनी	संक्षिप्तं विवरण	लगाया गया दंड/ सजा/ प्रशमित शुल्क	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/ कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)

	अधिनियम की धारा				
A. कंपनी					
दंड					
सजा					
प्रशमित					
B. निदेशक					
दंड					
सजा					
प्रशमित					
C. अभाव में अन्य अधिकारी					
दंड					
सजा					
प्रशमित					

मिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड
के बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से
ह0/-
सौरभ कुमार तिवारी
(निदेशक)
डीआईएन: 03606497
पता: टाइप डी-आई / ई 701,
केन्द्रीय सरकार अफसरों के अपार्टमेंट
बापू धाम, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली 110021
दिनांक : 31.07.2017
स्थान : दिल्ली

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड
के बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से
ह0/-
शिबा प्रसाद मोहपात्रा
(निदेशक)
डीआईएन: 06748009
पता: बी -11, प्रकार आईवीएस,
एस / एफ, एंड्रयूज गंज एक्सटेंशन,
नई दिल्ली -110049
दिनांक : 31.07.2017
स्थान : दिल्ली

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय वक्तव्यों पर रिपोर्ट

हमने हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के साथ वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2017 के अनुसार बैलेंस शीट शामिल है, उस वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट उस तिथि पर समाप्त हुआ और महत्वपूर्ण लेखांकन का सारांश नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी।

वित्तीय वक्तव्यों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित सामान्यतः भारत में लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन, इस खाते में पर्याप्त लेखा का रखरखाव भी शामिल है। कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और रोकने के लिए रिकॉर्ड; उचित लेखा नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण बना कर; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, जो सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक ग़लती से मुक्त हैं, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जो आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार कर रहा है, जो संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश पर दिया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखा के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

ऑडिटरों की ज़िम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय वक्तव्यों पर एक राय व्यक्त करने और हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करने है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षा के मानकों और मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना है और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षा का आयोजन किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का पालन करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं या नहीं और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित एक ऑडिट में वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता में मात्रा और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम कम करने की जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण। उन जोखिम आकलनों को बनाने में, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य देता है। एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उचितता का मूल्यांकन भी शामिल है, साथ ही साथ वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के सबूत वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय वक्तव्यों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरणों से इस तरह की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है और आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं भारत में, 31 मार्च 2017 तक कंपनी के मामलों के मामले में और उस दिन समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसके घाटे और नकदी प्रवाह विवरण।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट करें

1) अधिनियम की धारा 143 के उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनियों (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('ऑर्डर') के अनुसार, और इस तरह के चेक के आधार पर कंपनी के पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, जैसा कि हमने उचित और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार माना है, हम "अनुलग्नक ए" को आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

2) अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरण की मांग की है और प्राप्त कर लिया है, जो हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम थे।

ख) हमारे विचार में, कानून द्वारा आवश्यक खाते के उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होने तक रखा गया है;

ग) बैलेंस शीट, इस रिपोर्ट के साथ निपटा हुआ लाभ और हानि और नकदी प्रवाह वक्तव्य का विवरण, खाते की पुस्तकों के साथ समझौता;

घ) हमारे मकसद में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करते हैं, जो कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ते हैं;

ङ) 31 मार्च, 2017 को निर्देशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए, 31 मार्च, 2017 को निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है अधिनियम की धारा 164 (2) की;

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रणों की आंतरिक परिचालन की पर्याप्तता के संबंध में, इस तरह के नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता, "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें; तथा

छ) अन्य मामलों के संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कंपनी 11 (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, हमारे मकसद में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i) कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है, जो अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ii) कंपनी में व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी भौतिक निकट भविष्य में नुकसान हुआ था।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कोई भी राशि नहीं थी।

iv) चूंकि कंपनी प्रासंगिक अवधि के दौरान किसी भी नकद शेष को बनाए रखने नहीं कर रही है, इसलिए 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोटों में होल्डिंग और लेनदेन के रूप में अपने वित्तीय वक्तव्यों में कोई प्रकटीकरण नहीं दिया गया है।

3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा / 143 (5) के तहत सीएजीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / उप दिशा-निर्देशों के अनुसार मामलों की एक रिपोर्ट अनुलग्नक-ग के रूप में संलग्न है।

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

अनुलग्नक ए

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड की तारीख की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में।

1) **फिक्स्ड एससेट्स**
कंपनी में कोई निश्चित संपत्ति नहीं है और इसलिए उक्त आदेश के खंड 1 के उप खंड क, ख और ग लागू नहीं है।

2) कंपनी की कोई सूची नहीं है और इसलिए उक्त आदेश की धारा 2 लागू नहीं है।

3) कंपनी ने साल के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य दलों के लिए कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

4) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण, गारंटी, और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 का प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने निर्देशक को कोई ऋण नहीं दिया है और कोई गारंटी और सुरक्षा प्रदान नहीं की है इसलिए इस खंड लागू नहीं है।

5) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है और इस संबंध में कोई आदेश कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी कानून ट्रिब्यूनल या रिजर्व बैंक भारत या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा पारित नहीं किया गया है।

6) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के उपखंड (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव का निर्धारित नहीं किया है।

7) (क) हमारी राय में कंपनी प्रॉवीडेंट फंड, कर्मचारी के राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क की कर्तव्य, आबकारी की कर्तव्य, मूल्य वर्धित मूल्य सहित अविवादित वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित है। कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देयताएं जो उचित प्राधिकारियों के साथ लागू होती हैं।

(ख)आगे हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर या बिक्री कर या संपत्ति कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर या कर्तव्य के कारण कोई बकाया नहीं है या उपकर, जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं।

8) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों को ऋण या उधार लेने की चुकौती और डिबेंचर धारकों को देय राशि में चूक नहीं की है।

9) प्रबंधन द्वारा दी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से ऋण साधनों और अवधि ऋण सहित पैसे नहीं उठाए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधानों को कंपनी पर लागू नहीं किया जाता है और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है

10) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों को गलत रूप से गलत तरीके से बताए जाने के दौरान देखा गया है।

11) हमारी राय में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- V के साथ धारा 197 के प्रावधानों के साथ उपबंध लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी ने निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधानों पर लागू नहीं है। कंपनी

12) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है

14) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या पूरी तरह से या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर के अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किए हैं और इसलिए कंपनी के आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

15) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने उसके निदेशक या उससे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

16) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

हस्ता०

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

अनुलग्नक बी

ऑडिटर रिपोर्ट के संदर्भ में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड** की तारीख की हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है। (पैरा 2 (एफ) में हमारी रिपोर्ट की 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत संदर्भित यहां तक कि तारीख)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2017 के अनुसार, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ, **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार कर रहा है, जो संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोटिस में दिया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखा अधिनियम की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयार।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") और ऑडिटिंग के मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया जाना माना गया। , 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का पालन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और रखे गए हों और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित हों तो उचित आश्वासन प्राप्त करें।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, जो कि एक सामग्री कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन

करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।
हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाये जा रहे हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पहचान के बारे में उचित आश्वासन प्रदान

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक misstatements हो सकता है और पता नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले परिवर्तनों की वजह से अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी सभी वित्तीय मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को 31 मार्च 2017 तक प्रभावी ढंग से संचालन कर रही थी, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों की स्थापना पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थी। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन. नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

अनुलग्नक सी

31 अगस्त 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड** की तारीख की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के पैरा 3 में उल्लिखित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में।

1.	क्या कंपनी को रिक्त स्थान और पट्टे पर भूमि के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टे का काम क्रमशः है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए शीर्षक / पट्टे के काम उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी वीएसएनएल (अब टीसीएल) और मैसर्स पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य टाटा समूह की कंपनियों के संबंध में भारत सरकार के बीच 13-02-2002 को एसपीए के क्लॉज 7.10 के अनुच्छेद और 4-6 के एसएचए के अनुपालन में कंपनी, जहां अधिशेष भूमि की पहचान की गई कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था की योजना के अनुसार वीएसएनएल (अब टीसीएल) के विनिवेश के समय इस कंपनी में डिमर्ज किया जाना था। अतिरिक्त भूमि / संपत्ति की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है इसलिए खंड लागू नहीं है।
2.	चाहे छूट के किसी भी मामले / ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि को बंद कर दें। यदि हां, वहां के कारण और इसमें शामिल राशि।	ऐसा कोई भी मामला मनाया नहीं गया है
3.	सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त तृतीय पक्षों और संपत्तियों के साथ झूठ सूची के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाए या अन्य अधिकारियों	कंपनी में कोई सूची नहीं है और उपहार के रूप में सरकार या अन्य अधिकारियों से प्राप्त कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए इस खंड लागू नहीं है।

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

एईपीएन और एसोसिएट्स

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058

टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195

www.aepn-ca.com

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने भारत के सीएजीएजी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए गोलार्द्ध संपत्तियों के खातों की लेखा परीक्षा का आयोजन किया है और प्रमाणित किया है कि हमने सभी दिशाओं का अनुपालन किया है हमारे लिए जारी

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 005842एन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 31-07-2017

(सीए अनिल ईशपुनियानी)

साथी

एमआरएन: 096313

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन-पत्र

			(राशि रू. में)
	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
क. इक्विटी और देयताएं			
1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	5,00,000	5,00,000
(ख) प्रारक्षित भंडार और आधिक्य	3	(4,95,615)	(3,93,790)
		4,385	**1,06,210**
2) गैर-चालू देयताएं			
दीर्घावधि ऋण	4	1,00,00,000	1,00,00,000
		1,00,00,000	**1,00,00,000**
3) चालू देयताएं			
अन्य चालू देयताएं	5	16,23,000	32,92,650
		16,23,000	**32,92,650**
कुल		**1,16,27,385**	**1,33,98,860**
ख. परिसम्पयत्तियां			
1) गैर-चालू परिसम्पत्तियां			
(क) अचल परिसम्पत्तियां अगोचर परिसम्पत्तियां			
(i) चल रहे पूंजीगत कार्य	6	39,00,000	21,00,000
		39,00,000	**21,00,000**
2) चालू परिसम्पचत्तियां			
क) नकद और नकद समकक्ष	7	74,84,913	1,11,54,950
ख) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	8	2,42,472	1,43,910
		77,27,385	**1,12,98,860**
कुल		**1,16,27,385**	**1,33,98,860**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वित्तीय विवरणों के लिए अन्यत टिप्पणियां	2 to 24		

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन: 05842एन)
(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

शिबा पी मोहपात्रा	सौरभ कुमार तिवारी
निदेशक	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 06748009	डी आई एन: 03606497

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रू. में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	सतत प्रचालन			
1	क) प्रचालनों से राजस्व		-	-
	ख) अन्य आय	9	5,88,125	6,38,354
	II. कुल राजस्व		**5,88,125**	**638,354**
2	**व्यय**			
	क) वित्त लागत	10	5,00,000	500,000
	ख) अन्य प्रशासनिक और विविध खर्चे	11	1,89,950	159,065
	कुल व्यय		**6,89,950**	**659,065**
3	कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-III)		(1,01,825)	(20,711)
4	कर व्यय :			
	(क) चालू कर (ख) अस्थगित कर			-
5	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**(1,01,825)**	**(20,711)**
6	**प्रति शेयर आय** 1) बुनियादी 2) तनुकृत	 12 12	 (2.04) (2.04)	 (0.41) (0.41)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1		
वित्तीय विवरणों के लिए अन्यत टिप्पणियां		2 to 24		

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन: 05842एन)

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

शिबा पी मोहपात्रा
निदेशक
डी आई एन: 06748009

सौरभ कुमार तिवारी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 03606497

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(राशि रू. में)

	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह :				
कर-पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		(1,01,825)		(20,711)
निम्न के लिए समायोजन :				
वित्तीय लागत	5,00,000		5,00,000	
ब्याज आय	(5,88,125)	(88,125)	(6,16,354)	(1,16,354)
कार्यरत पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ :		**(1,89,950)**		**(1,37,065)**
निम्न के लिए समायोजन :				
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	1,43,910		(20,639)	
व्यापार देनदारियां और अन्य देयताएं	(16,69,650)	(15,25,740)	11,56,386	11,35,747
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी		**(17,15,690)**		**9,98,682**
भुगतान किए गये प्रत्यदक्ष कर (निवल)		2,42,472	-	1,23,271
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकद (क)		(19,58,252)		8,75,411
ख. निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह:				
जो प्रगति में है		(18,00,000)		
ग. वित्तीकय कार्यकलापों से नकद प्रवाह				
दीर्घावधि ऋण			1,00,00,000	
अल्पावधि बैंक जमा पर ब्याज आय	88,125	88,125	1,16,354	1,01,16,354
		88,125		
नकद और नकद समकक्ष (क+ख+ग) में निवल बढ़ोतरी/(घटोतरी)		(36,70,037)		1,09,91,765
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक शेष)		1,11,54,950		1,63,185
नकद और नकद समकक्ष (अंतिम शेष)		74,84,913		1,11,54,950

पाद टिप्पणी:		
i) उपरोक्ता नकद प्रवाह विवरण "नकद प्रवाह विवरण" पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यगक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है। ii) जहां भी आवश्यहक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: व्यवस्थित/फिर से एकजुट कर दिया गया है।		
<u>लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</u> यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार **एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए** चार्टर्ड अकाउंटेंट, (एफआरएन: 05842एन)	निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड**	
	<u>शिबा पी मोहपात्रा</u> निदेशक <u>डी आई एन: 06748009</u>	<u>सौरभ कुमार तिवारी</u> अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक <u>डी आई एन: 03606497</u>
(सीए अनिल ईशपुनिया्नी) साथी एमआरएन: 096313 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 31-07-2017		

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु लेखाओं का भाग बनने वाला नोट

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क) कारपोरेट सूचना

हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (कंपनी) एक सार्वजनिक कंपनी है जिसे 17 जनवरी, 2005 को शामिल किया गया है और 18 मार्च 2014 से सरकारी कंपनी बन गई है। कंपनी का समावेश एसपीए के खंड 7.10 और 13-02 को लागू किए गए एसएचए के 4.7 अनुपालन के अनुसार किया गया था। -2002 भारत सरकार और मैसर्स पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य टाटा समूह की कंपनियां, जिसमें वीएसएनएल के विनिवेश के समय की पहचान की गई अधिशेष भूमि कंपनी के विलय के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था की योजना के अनुसार डिमर्ज की गई थी। कंपनी अधिनियम की धारा 391 से 3 9 4 जबकि कंपनी का 51.12% इक्विटी शेयर, दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत सरकार के पास है, शेष इक्विटी शेयर मैसर्स पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड के पास हैं।

ख) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचय आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार और प्रस्तुत किया गया है। ये बयान कंपनियों के नियम 7 के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं (लेखा) नियम 2014 और अधिसूचित सीमा तक कार्य का प्रावधान। लेखांकन नीतियों को लगातार कंपनी पर लागू किया गया है जब तक अन्यथा नहीं कहा गया है।

सभी संपत्ति और देनदारियों को कंपनी के सामान्य ऑपरेटिंग चक्र के अनुसार मौजूदा या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची 3 में निर्धारित अन्य मानदंडों को शामिल किया गया है। कंपनी के संचालन की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने इसका पता लगाया है सभी संपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए 12 महीनों के रूप में परिचालन चक्र

ग) आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी भारतीय जी.ए.ए.पी. (आम तौर पर स्वीकार किए जाते लेखा सिद्धांतों) के अनुरूप है और वित्तीय अनुमानों की तिथि पर आकस्मिक देनदारियों की संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा और अनुमानों को प्रभावित करने वाले अनुमान और अनुमानों को प्रबंधित करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने और लागू करने के अनुमान और मान्यताओं को वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार मौजूदा घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है। हालांकि, मान्यताओं और अनुमानों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण, वास्तविक अनुमान अनुमानित अनुमान से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के लिए कोई संशोधन मौजूदा और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है।

घ) राजस्व मान्यता

1. राजस्व को केवल तभी पहचान लिया जाता है जब यह भरोसेमंद रूप से मापा जा सकता है और अंतिम संग्रह की अपेक्षा उचित है:
2. पक्षपात और अन्य दावों / धनवापसी से ब्याज आय पहचाने जाते हैं जब विवेकपूर्णता के आधार पर अंतिम संग्रह की उचित निश्चितता होती है।
3. आय के अन्य आइटम प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त हैं।

ङ) अचल संपत्तियां

मूर्त अचल संपत्तियां अधिग्रहण या निर्माण (करों और टैक्स जो कि बाद में कर लगाने वाले अधिकारियों से वसूल कर लिए जाने वाले हैं) की कीमत पर कहा जाता है, कम जमा मूल्यह्रास अधिग्रहण और तय परिसंपत्ति की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष रूप से सभी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है और इसमें निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की लागत या मूर्त अचल संपत्तियों की योग्यता के अधिग्रहण शामिल हैं।

च) मूल्यह्रास

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लिए अनुसूची 2 के तहत निर्धारित अनुसार आकस्मिक उपयोगी जीवन के लिखित नीचे विधि पर मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का आरोप लगाया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदा / प्राप्त किए गए संपत्ति पर मूल्यह्रास का शुल्क लिया जाता है। परिसंपत्ति की अतिरिक्त / खरीद की तारीख इसी तरह, वर्ष के दौरान बेचे गए / छोड़े गए परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की बिक्री / छोड़ने पर लगाई गई है।

छ) <u>प्रति शेयर आय</u>

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ / (हानि) को विभाजित करके असाधारण आय की हिस्सेदारी को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए एडजस्टेड के रूप में यानी डिलीटिव संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित आय के अनुसार कर के बाद लाभ / (हानि) को विभाजित करके लाभांश / हानि को विभाजित करके गणना की गई है। इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या द्वारा प्रति शेयर मूल आय और भारित औसत इक्विटी शेयरों के लिए माना जाने वाले शेयरों के लिए माना जाता है जो कि सभी डिलीटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे। संभावित इक्विटी शेयर केवल अगर केवल इक्विटी शेयरों में अपना रूपांतरण सामान्य शेयरों से शुद्ध लाभ कम हो जाएगा तो केवल धीमी गति से माना जाएगा। संभावित पतला इक्विटी शेयर को इस अवधि की शुरुआत में परिवर्तित किया जाना माना जाता है, जब तक कि वे बाद की तारीख में जारी नहीं किए गए हैं। लाभप्रद संभावित इक्विटी शेयरों को प्राप्त आय के लिए समायोजित किया जाता है, वास्तव में उचित मूल्य पर शेयर जारी किए गए थे (यानी बकाया शेयरों का औसत बाजार मूल्य)। Dilutive संभावित इक्विटी शेयर स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए निर्धारित हैं ईक्विटी शेयरों की संख्या और संभावित रूप से इयूल्यूटिव इक्विटी शेयरों को शेयर स्प्लिट / रिवर्स शेयर स्प्लिट्स और बोनस शेयरों के लिए उपयुक्त के रूप में समायोजित किया जाता है।

ज) **आय पर कर**

चालू-कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में यथा-निर्धारित वर्ष के लिए योग्य आय पर देय कर की राशि है।

कर-कानून के अनुसरण में प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भावी आय-कर देयता के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्रदान करता है, को एक परिसम्पत्ति समझा जाता है, यदि विश्वासोत्पादक साक्ष्य हो कि कम्पनी सामान्य आय-कर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एम.ए.टी. को तुलन-पत्र में एक परिसम्पत्ति समझा जाता है जब यह संभावित हो कि इससे सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को उपलब्ध होंगे।

सामयिक अंतरों जो कर योग्य आय तथा लेखा-आय जो एक अवधि में प्रारंभ होती है और एक अथवा अधिक उत्तरवर्ती अवधियों में प्रतिलोम के योग्य है, के बीच का अंतर होता है, को अस्थगित-कर माना जाता है। अस्थगित-कर को कर-दरों तथा अधिनियमित कर-कानूनों अथवा रिपोर्ट की गई तारीख पर पर्याप्त रूप से अधिनियमन का प्रयोग करते हुए आंका जाता है। अस्थगित-कर देयता सभी सामयिक अंतरों के लिए मानी जाती है। अनवशोषित मूल्यहास तथा अगले लाभ से घाटा-पूर्ति के संबंध में अस्थगित कर परिसम्पत्तियां तभी मान्य हैं यदि वास्तविक निश्चितता हो कि ऐसी परिसम्पत्तियों की वसूली करने के लिए पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी। अस्थगित कर-परिसम्पत्तियां अन्य मदों के लिए ही उस सीमा तक सामयिक अंतरों के लिए मान्य है कि इस आशय की पर्याप्त निश्चितता विद्यमान है कि पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिनसे इन्हें वसूला जा सकता है। अस्थगित परिसम्पत्तियां तथा देयताएं क्षतिपूर्ति हैं यदि ऐसी मदें उसी अभिशासी कर-कानूनों द्वारा आय पर लगाए गए करों से संबंधित है तथा कम्पनी का ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है। अस्थगित कर परिसम्पत्तियों की उनकी वसूली के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है।

ञ) **उधार लागत**

उधार लागतों में ब्याज, वहन की गई आनुषंगिक लागतों का परिशोधन तथा विदेशी मुद्रा उधार का उस सीमा तक विनियम अंतर शामिल है, कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन की सीमा तक समझा जाए। अर्हता प्राप्त परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण संबंधी अप्रत्यक्ष सीमा तक निधियों को उधार लिए जाने की लागत ऋण अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण से प्रभारित किया जाता है। अर्हता प्राप्त परिसम्पत्तियों की पूंजीकरण तारीख तक इनके निर्माण/विकास संबंधी कार्यकलापों को प्रारंभ किए जानेकी अवधि से उधार लागतों, अर्हता प्राप्त परिसम्पत्तियों के आबंटन और उपयोगिता को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है। जब अर्हता प्राप्त परिसम्पत्ति संबंधी विकास कार्यकलापों को विस्तारित किया जाता है, तो विस्तारित अवधि के दौरान उधार के पूंजीकरण कार्य को लंबित रखते हुए इसे लाभ और हानि विवरण से प्रभारित किया जाता है।

ट) **नकद और नकद समकक्ष**

नकद और नकद समकक्ष में बैंक और हाथ पर और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ लघु अवधि के निवेश पर नकद शामिल हैं

ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

(i) प्रावधान

एक प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान दायित्व है, यदि यह संभावित है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की मात्रा से किया जा सकता है।

(ii) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है, जब पिछले घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभव दायित्व है, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना पर ही पुष्टि की जाएगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व से पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां यह संभावित नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह करने की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

(iii) आकस्मिक संपत्ति

वित्तीय वक्तव्यों में आकस्मिक संपत्ति न तो मान्यता प्राप्त होती है और न ही प्रकट होती है।

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का नोट

(राशि रू. में)

		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
2.	**शेयर पूंजी इक्विटी**		
	प्राधिकृत पूंजी		
	10 रू. प्रति शेयर के 25,00,000 (पिछले वर्ष 25,00,000) इक्विटी शेयर	25,00,000	25,00,000
	निर्गम, अभिदत्त और पूर्णत: संदत्त		
	10 रू. प्रति शेयर के 50,000 (पिछले वर्ष 50,000) इक्विटी शेयर	5,00,000	5,00,000
		5,00,000	**5,00,000**

क) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान और शेयर पूंजी की वार्षिक

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	50,000	5,00,000	50,000	5,00,000
जोड़ें- वर्ष के दौरान आबंटित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**50,000**	**5,00,000**	**50,000**	**5,00,000**

ख) सामान्य शेयर: कम्पनी में एक वर्ग सामान्य शेयर होते हैं, जो कि बराबर मूल्य के बराबर है। 10 प्रति शेयर प्रत्येक शेयरधारक, आयोजित एक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले में, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। लाभांश सहित सभी मामलों में कंपनी के पारी-पारू के भुगतान-अप इक्विटी शेयर परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरहोल्डिंग के अनुपात में सभी तरजीही राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

ग) कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	संख्या	**धारण%**	**संख्या**	**धारण%**
पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड	24,440	48.8%	24,440	48.8%
भारत के राष्ट्रपति (दूरसंचार विभाग के माध्यम से)	25.560	51.12%	25.560	51.12%

3.	**आरक्षित तथा अधिशेष लाभ और हानि लेखा**				
	गत तुलन-पत्र के अनुसार शेष		(3,93,790)		(3,73,079)
	(+) चालू वर्ष का लाभ-हानि		(1,01,825)		(20,711)
			(4,95,615)		**(3,93,790)**

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का नोट

(राशि रू. में)

		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
4.	**गैर-चालू देयताएं**		
	दीर्घावधि ऋण		
	भारत सरकार से असुरक्षित ऋण	1,00,00,000	1,00,00,000
		1,00,00,000	**1,00,00,000**

टिप्पणी : भारत सरकार से दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मार्च, 2015 के संस्वीकृत ज्ञापन के माध्यम से ऋण लिया गया है तथा ऋण के निबंधन और शर्तों पर वित्त मंत्रालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। ऐसे निबंधनों और शर्तों को अभी वित्त मंत्रालय से प्राप्त किया जाना है।

कंपनी ने प्रारंभिक लागतों को पूरा करने, जिनमें भूमि अधिग्रहण हेतु आकस्मिक व्यय और दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक खर्च शामिल हैं, के लिए भारत सरकार से 1 करोड़ रूपये की धनराशि ऋण के तौर पर ली है तथा सरकार से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के आधार पर सुलभ ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है :-

(i) ऋण-स्थगन अवधि ऋण आहारित करने अथवा भूमि विक्रय प्रक्रियां को अंतिम रूप दिये जाने की तारीख, जो भी पहले हो से 5 वर्ष की अवधि तक पुनर्भुगतान की अनुमति प्रदान की जाए।

(ii) इसमें कोई पूर्व-भुगतान शास्ति खंड नहीं होगा।

(iii) ऋण 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के सामान्य नाममात्र दर पर प्रदान किया जाएगा।

(iv) कंपनी को 5 वर्ष की ऋण-स्थगन अवधि के बाद पांच एकसमान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान की अनुमति प्रदान की जाए।

(v) ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए।

सरकार द्वारा ऋण के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रियां लंबित होने के कारण, एचपीआईएल ने सरकार को यह वचन दिया है कि कंपनी वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई शर्तों और निबंधनों की अनुपालना करेगी और तदनुसार 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य नाममात्र दर से ब्याज देयताओं के प्रावधानों का निर्धारण किया गया है।

5.	**अन्य चालू देयताएं**		
	क) देय लेखा-परीक्षा शुल्क	23,000	11,500
	ख) सुरक्षा जमा	6,00,000	6,00,000
	ग) भारत सरकार से ऋण पर अर्जित ब्याज लेकिन अभी तक देय नहीं	10,00,000	5,00,000
	घ) देय कानूनी व्यय	-	18,90,000
	ड.) सांविधिक देय - (स्रोत पर काटा गया कर)	-	2,18,015
	च) देय अन्य व्यय	-	73,135
		16,23,000	**32,92,650**
6.	**चल रहे पूंजीगत कार्य**		
	कानूनी व्यय	39,00,000	21,00,000
		39,00,000	**21,00,000**

(टिप्पणी : एचपीआईसीएल के पक्ष में अतिरिक्त भूमि का प्रयोग करने, शीर्षकों के संबंध में यथा सतर्कता पर वहन किया गया विधिक व्यय)

तदुपरांत, एचपीआईएल में 51.12 प्रतिशत शेयर अधिग्रहित करने के बाद दूरसंचार विभाग ने कंपनी को कंपनी विधि मामलों, विधिक, भू-राजस्व और कराधान मामलों में विशेषज्ञता वाली परामर्शी फर्म की नियुक्ति हेतु ऋण प्रदान किया है। परामर्शी फर्म को मैसर्स वीएसएनएल (अब मैसर्स टीसीएल) की अतिरिक्त भूमि को मैसर्स एचपीआईएल के पक्ष में करने हेतु प्रबंध योजना को अंतिम रूप देने हेतु शीर्षकों के संबंध में यथा सतर्कता, भूमि उपयोग में बदलाव और अन्य सभी प्रारंभिक कदम उठाने का कार्य करना होगा। इनके अतिरिक्त, कंपनी को मैसर्स टीसीएल से एचपीआईएल के पक्ष में अतिरिक्त भूमि के अंतरण हेतु स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान भी करना होगा। लेखाओं के उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत साम्यता इन्फ्यूजन और पर्याप्त निधियों की उपलब्धता लंबित होने के कारण स्टांप ड्यूटी और विधिक परामर्शदाता के भुगतान पर किया गया व्यय "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

7.	**नकद और नकद समकक्ष**		
	क) हाथ रोकड़	-	-
	ख) अनुसूचित बैंकों के पास शेष		
	अल्पावधि जमा पर	74,24,739	110,72,176
	चालू बैंक खाता पर	60,174	82,774
		74,84,913	**111,54,950**
8.	**अल्पावधि, ऋण और अग्रिम**		
	अल्पावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	-	20,639
	ब्याज आय पर टीडीएस	2,42,472	1,23,271
		2,42,472	**1,43,910**

(राशि रू. में)

		31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
9.	**अन्य स्रोतों से आय**		
	अल्पावधि बैंक जमा पर अर्जित ब्याज आय	5,88,125	6,16,354
	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	-	22,000
		5,88,125	**6,38,354**
10.	**वित्त लागत**		
	भारत सरकार से ऋण पर ब्याज	5,00,000	5,00,000
		5,00,000	**5,00,000**
11.	**अन्य प्रशासनिक तथा विविध व्यय**		
	लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक	23,000	11,500
	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	22,000	17,840
	विविध व्यय	950	10,000
	मुद्रण और लेखन सामग्री	6,000	6000
	स्थानीय परिवहन	-	1792
	वेतन, अनुलाभ और रिटेनरशिप	1,38,000	1,11,933
		1,89,950	**1,59,065**

12. <u>प्रति शेयर आमदनी</u>

कर के बाद लाभ	(1,01,825)	(20,711)
इक्विटी शेयरधारकों के मुताबिक लाभ और नुकसान	(1,01,825)	(20,711)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	50,000	50,000
प्रति शेयर मूल तथा कम आमदनी	(2.04)	(0.41)
प्रति शेयर का नाम-मात्र मूल्य	10	10

<u>टिप्पणियाँ खाते में:</u>

13. दीर्घकालिक उधार, व्यापार देय, अन्य वर्तमान देनदारियों, व्यापार प्राप्तियों और अन्य अल्पावधि ऋण और अग्रिम के विरुद्ध पूर्वगामी तुलन-पत्र में दिखाए गए शेष राशि पुष्टि के अधीन हैं।
14. चालू वर्ष और पिछले वर्ष के आंकड़े निकटतम रुपया तक गोल कर दिए गए हैं।
15. वर्ष के दौरान किसी भी समय निदेशकों द्वारा की जाने वाली अधिकतम राशि: शून्य
16.

<u>लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक</u>	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**
सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क	20,000	10,000
उपर्युक्त पर सेवा-कर	3,000	1500
	23,000	**11,500**

17. आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रदान नहीं किया गया:
कंपनी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति / विभाग द्वारा दावेदार / दावा दायर नहीं किया गया है: शून्य
18. कंपनी को सूक्ष्म और मझौले उद्यम अधिनियम, 2006 के तहत बैलेंस शीट की तारीख के तहत अपने स्थिति के बारे में आपूर्तिकर्ता से कोई सूचना नहीं मिली है इसलिए ऐसा कोई खुलासा नहीं कहा गया है कि कार्य किया गया है।
19. संबंधित पार्टी लेनदेन (एस -18 के अनुसार)
सभी संबंधित पार्टियों को प्रबंधन द्वारा पहचाने गए हैं और ऑडिटरों द्वारा भरोसा किया है।
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी:
श्री सौरभ कुमार तिवारी (अध्यक्ष सह एमडी)
श्री शीबा पी मोहपात्र (निदेशक)
20. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण

रुपये में राशि

लेनदेन की प्रकृति	2016-17	2015-16
	उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट	उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट
प्रबंध निदेशक को वेतन	शून्य	शून्य
निदेशक को वेतन	शून्य	शून्य
देय शेष वेतन का भुगतान	शून्य	शून्य

21. आयकर के तहत संचित घाटे के कारण आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि चटाई प्रावधान किया गया है।

22. कंपनी एक छोटे और मध्यम आकार की कंपनी (एसएमसी) है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के संबंध में सामान्य निर्देशों में परिभाषित है। तदनुसार, कंपनी ने एक छोटे और मध्यम आकार की कंपनी पर लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया है ।

23. पिछले वर्षों के आंकड़ों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्संगणित किए गए हैं जहां कहीं भी आवश्यक है।

24. नोट 1 से 24 खाते का एक अभिन्न अंग बनाते हैं और प्रमाणित किए गए हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एफआरएन: 05842 एन)

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

शिबा पी मोहपात्रा	सौरभ कुमार तिवारी
निदेशक	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 06748009	डी आई एन: 03606497

(सीए अनिल ईशपुनियानी)

साथी

एमआरएन: 096313

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 31-07-2017

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के वित्तीय-विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया सांविधिक लेखा-परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा-परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय-विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह दिनांक 31 जुलाई, 2017 के उनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के वित्तीय-विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय किया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक के लिए
तथा उनकी ओर से

ह0/-
(पी.के. तिवारी)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
(डाक तथा दूरसंचार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक:10.08.2017

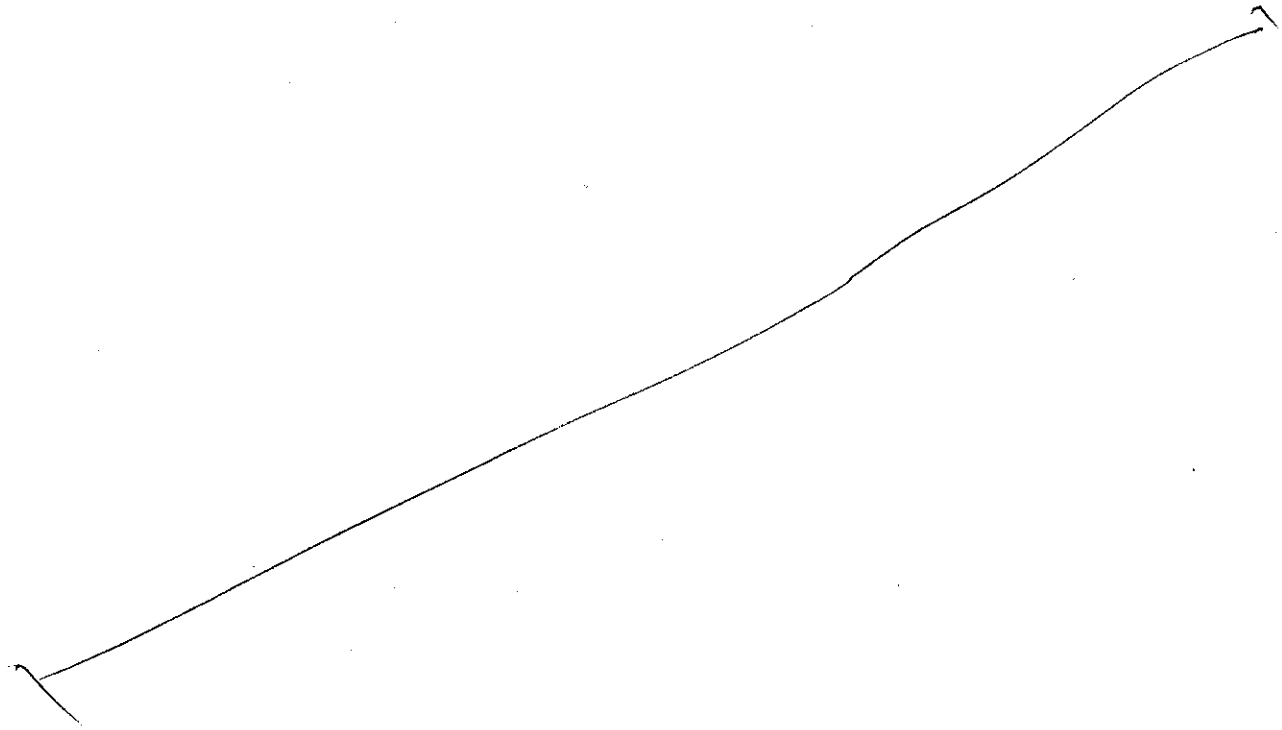

Board of Directors

Chairman & Managing Director
Shri Saurabh Kumar Tiwari

Directors

Shri C V Manoj Kumar
Shri Shiba Prasad Mohapatra

Auditor

Statutory Auditor
M/s AEPN & Associates
Chartered Accountants
309 & 516, Jaina Tower-1
District Centre, Janakpuri
New Delhi-110058

Preface: Hemisphere Properties India Limited (HPIL)

At the time of strategic sale of 25% equity stake in Videsh Sanchar Nigam Limited (now Tata Communications Limited - TCL) in the year 2002, surplus land measuring 773.13 acres was identified out of total 1230.13 acres of land at four stations and decided that this land will not be a part of disinvestment bid and will be de-merged into a separate resulting Company.

Subsequently, a Resulting Company by the name Hemisphere Properties India Limited (HPIL) was incorporated in January 2005 and Government of India acquired majority shareholding of 51.12% in 2014 and assumed management control in the Company. HPIL has thus become a Public Sector Undertaking (PSU) under the Department of Telecommunications, Ministry of Communications. Among other things the object of the company is to construct, acquire, hold, manage, develop, administer, protect, preserve and deal in any other manner with surplus land, including sale and purchase.

Substantial progress has been made to finalize the 'Scheme of Arrangement' to facilitate de-merger of surplus land from TCL to HPIL. Due diligence on the title deed, physical verification, demarcation and the process of transfer of Surplus Land is underway. After completing various statutory procedures, the 'Scheme of Arrangement' shall be placed before the National Company Law Tribunal (NCLT) / Ministry of Corporate Affairs. Necessary steps have been initiated for increase in authorized share capital, equity infusion, de-materialisation of shares, listing, filing with Competition Commission of India, etc.

Hemisphere Properties India Limited
CIN: U70101DL2005GOI132162
Regd Office Address: Room No.409, Sanchar Bhawan
Ashok Road, New Delhi- 110001
Email ID: ddglf2-dot@nic.in
Contact: 011- 23372136

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Friday, 22nd day of September, 2017 at 3:00 P.M. at Committee Room 2nd Floor, Sanchar Bhawan, Ashoka Road, New Delhi - 110001 to transact the following businesses: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as on 31st March, 2017, the Profit and Loss Account for the year ended on that date and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.

2. To appoint a Director in place of Mr. Saurabh Kumar Tiwari (DIN: 03606497), who retires by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.

3. To consider and fix the Remuneration of the Auditors for the Financial Year 2017-18.

SPECIAL BUSINESS:

4. **Increase in the Authorized Share Capital of the Company:**

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 61(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for time being in force) consent of Members be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company from Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakhs) divided into 2,50,000 (Two Lakhs Fifty Thousand) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 100,000,000,000/- (Rupees Ten Thousand Crores) divided into 9,000,000,000 (Nine Hundred Crores) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each ranking pari- pasu with existing Equity Shares of the company and 1,000,000,000 (One Hundred Crores) preference shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and that in Clause V of the Memorandum of Association of the Company, for the words and figures

"The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakhs) divided into 2,50,000 (Two Lakhs Fifty Thousand) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each" the following shall be substituted:

"The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 100,000,000,000/- (Rupees Ten Thousand Crores) divided into 9,000,000,000 (Nine Hundred Crores) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 1,000,000,000 (One Hundred Crores) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each".

RESOLVED FURTHER THAT all directors of the Board be and are hereby jointly and severally authorised to do all such act, things to give effect to the resolution and to file necessary forms with Registrar of Companies."

5. To Borrow Money under Section 180 of the Companies Act, 2013:

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of section 180(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 or any other law for the time being in force (including any statutory modification or amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force) and in terms of the article of association of the Company, the Consent of the members of the company, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the "Board", which term shall include any committee constituted by the Board or any person(s) authorized by the Board to exercise the power conferred on the Board by this resolution) to borrow, from time to time, such sums of monies on such terms and conditions and with or without security as may be considered fit for the purpose of the business of the Company, notwithstanding that monies to be so borrowed together with the monies already borrowed by the Company (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) may exceed the aggregate of the paid up share capital and free reserves of the Company provided however, that the total borrowing outstanding at any one time shall not exceed Rs. 50 Crores.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to do and perform all such acts, deeds and things as may be necessary, desirable or expedient to give effect to this Resolution including filling of forms with registrar of Companies."

For and on behalf of the Board of
Hemisphere Properties India Limited

(Saurabh Kumar Tiwari)
Managing Director
DIN 03606497
ADDRESS: Type D -I /E 701, Central Govt. Officers Apartment Bapu Dham, Chanakyapuri, New Delhi 110021

Place: Delhi
Date: 25.08.2017

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

अनुलग्नक ए

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड की तारीख की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में।

1) **फिक्स्ड एससेट्स**
कंपनी में कोई निश्चित संपत्ति नहीं है और इसलिए उक्त आदेश के खंड 1 के उप खंड क, ख और ग लागू नहीं है।

2) कंपनी की कोई सूची नहीं है और इसलिए उक्त आदेश की धारा 2 लागू नहीं है।

3) कंपनी ने साल के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य दलों के लिए कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

4) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण, गारंटी, और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 का प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने निर्देशक को कोई ऋण नहीं दिया है और कोई गारंटी और सुरक्षा प्रदान नहीं की है इसलिए इस खंड लागू नहीं है।

5) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है और इस संबंध में कोई आदेश कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी कानून ट्रिब्यूनल या रिजर्व बैंक भारत या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा पारित नहीं किया गया है।

6) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के उपखंड (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव का निर्धारित नहीं किया है।

7) (क) हमारी राय में कंपनी प्रॉवीडेंट फंड, कर्मचारी के राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क की कर्तव्य, आबकारी की कर्तव्य, मूल्य वर्धित मूल्य सहित अविवादित वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित है। कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देयताएं जो उचित प्राधिकारियों के साथ लागू होती हैं।

(ख)आगे हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर या बिक्री कर या संपत्ति कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर या कर्तव्य के कारण कोई बकाया नहीं है या उपकर, जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं।

8) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों को ऋण या उधार लेने की चुकौती और डिबेंचर धारकों को देय राशि में चूक नहीं की है।

9) प्रबंधन द्वारा दी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से ऋण साधनों और अवधि ऋण सहित पैसे नहीं उठाए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधानों को कंपनी पर लागू नहीं किया जाता है और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है

10) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों को गलत रूप से गलत तरीके से बताए जाने के दौरान देखा गया है।

11) हमारी राय में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- V के साथ धारा 197 के प्रावधानों के साथ उपबंध लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी ने निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधानों पर लागू नहीं है। कंपनी

12) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है

14) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या पूरी तरह से या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर के अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किए हैं और इसलिए कंपनी के आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

15) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने उसके निदेशक या उससे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

16) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

हस्ता०

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

अनुलग्नक बी

ऑडिटर रिपोर्ट के संदर्भ में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड** की तारीख की हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है। (पैरा 2 (एफ) में हमारी रिपोर्ट की 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत संदर्भित यहां तक कि तारीख)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2017 के अनुसार, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ, **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार कर रहा है, जो संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोटिस में दिया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखा अधिनियम की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयार।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") और ऑडिटिंग के मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया जाना माना गया। , 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का पालन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और रखे गए हों और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित हों तो उचित आश्वासन प्राप्त करें।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, जो कि एक सामग्री कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन

करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।
हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाये जा रहे हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पहचान के बारे में उचित आश्वासन प्रदान

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक misstatements हो सकता है और पता नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले परिवर्तनों की वजह से अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी सभी वित्तीय मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को 31 मार्च 2017 तक प्रभावी ढंग से संचालन कर रही थी, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों की स्थापना पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थी। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन. नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

अनुलग्नक सी

31 अगस्त 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड** की तारीख की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के पैरा 3 में उल्लिखित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में।

1.	क्या कंपनी को रिक्त स्थान और पट्टे पर भूमि के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टे का काम क्रमशः है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए शीर्षक / पट्टे के काम उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी वीएसएनएल (अब टीसीएल) और मैसर्स पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य टाटा समूह की कंपनियों के संबंध में भारत सरकार के बीच 13-02-2002 को एसपीए के क्लॉज 7.10 के अनुच्छेद और 4-6 के एसएचए के अनुपालन में कंपनी, जहां अधिशेष भूमि की पहचान की गई कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था की योजना के अनुसार वीएसएनएल (अब टीसीएल) के विनिवेश के समय इस कंपनी में डिमर्ज किया जाना था। अतिरिक्त भूमि / संपत्ति की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है इसलिए खंड लागू नहीं है।
2.	चाहे छूट के किसी भी मामले / ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि को बंद कर दें। यदि हां, वहां के कारण और इसमें शामिल राशि।	ऐसा कोई भी मामला मनाया नहीं गया है
3.	सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त तृतीय पक्षों और संपत्तियों के साथ झूठ सूची के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाए या अन्य अधिकारियों	कंपनी में कोई सूची नहीं है और उपहार के रूप में सरकार या अन्य अधिकारियों से प्राप्त कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए इस खंड लागू नहीं है।

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

एईपीएन और एसोसिएट्स

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058

टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195

www.aepn-ca.com

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने भारत के सीएजीएजी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए गोलार्द्ध संपत्तियों के खातों की लेखा परीक्षा का आयोजन किया है और प्रमाणित किया है कि हमने सभी दिशाओं का अनुपालन किया है हमारे लिए जारी

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 005842एन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 31-07-2017

(सीए अनिल ईशपुनियानी)

साथी

एमआरएन: 096313

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन-पत्र

			(राशि रू. में)
	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
क. इक्विटी और देयताएं			
1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	5,00,000	5,00,000
(ख) प्रारक्षित भंडार और आधिक्य	3	(4,95,615)	(3,93,790)
		4,385	**1,06,210**
2) गैर-चालू देयताएं			
दीर्घावधि ऋण	4	1,00,00,000	1,00,00,000
		1,00,00,000	**1,00,00,000**
3) चालू देयताएं			
अन्य चालू देयताएं	5	16,23,000	32,92,650
		16,23,000	**32,92,650**
कुल		**1,16,27,385**	**1,33,98,860**
ख. परिसम्पयत्तियां			
1) गैर-चालू परिसम्पत्तियां			
(क) अचल परिसम्पत्तियां अगोचर परिसम्पत्तियां			
(i) चल रहे पूंजीगत कार्य	6	39,00,000	21,00,000
		39,00,000	**21,00,000**
2) चालू परिसम्पचत्तियां			
क) नकद और नकद समकक्ष	7	74,84,913	1,11,54,950
ख) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	8	2,42,472	1,43,910
		77,27,385	**1,12,98,860**
कुल		**1,16,27,385**	**1,33,98,860**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वित्तीय विवरणों के लिए अन्यत टिप्पणियां	2 to 24		

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन: 05842एन)
(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

शिबा पी मोहपात्रा	सौरभ कुमार तिवारी
निदेशक	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 06748009	डी आई एन: 03606497

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रू. में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	सतत प्रचालन			
1	क) प्रचालनों से राजस्व		-	-
	ख) अन्य आय	9	5,88,125	6,38,354
	II. कुल राजस्व		**5,88,125**	**638,354**
2	**व्यय**			
	क) वित्त लागत	10	5,00,000	500,000
	ख) अन्य प्रशासनिक और विविध खर्चे	11	1,89,950	159,065
	कुल व्यय		**6,89,950**	**659,065**
3	कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-III)		(1,01,825)	(20,711)
4	कर व्यय :			
	(क) चालू कर (ख) अस्थगित कर			-
5	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**(1,01,825)**	**(20,711)**
6	**प्रति शेयर आय** 1) बुनियादी 2) तनुकृत	 12 12	 (2.04) (2.04)	 (0.41) (0.41)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1		
वित्तीय विवरणों के लिए अन्यत टिप्पणियां		2 to 24		

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन: 05842एन)

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

शिबा पी मोहपात्रा
निदेशक
डी आई एन: 06748009

सौरभ कुमार तिवारी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 03606497

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(राशि रू. में)

	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह :				
कर-पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		(1,01,825)		(20,711)
निम्न के लिए समायोजन :				
वित्तीय लागत	5,00,000		5,00,000	
ब्याज आय	(5,88,125)	(88,125)	(6,16,354)	(1,16,354)
कार्यरत पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ :		**(1,89,950)**		**(1,37,065)**
निम्न के लिए समायोजन :				
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	1,43,910		(20,639)	
व्यापार देनदारियां और अन्य देयताएं	(16,69,650)	(15,25,740)	11,56,386	11,35,747
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी		**(17,15,690)**		**9,98,682**
भुगतान किए गये प्रत्यदक्ष कर (निवल)		2,42,472	-	1,23,271
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकद (क)		(19,58,252)		8,75,411
ख. निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह:				
जो प्रगति में है		(18,00,000)		
ग. वित्तीकय कार्यकलापों से नकद प्रवाह				
दीर्घावधि ऋण			1,00,00,000	
अल्पावधि बैंक जमा पर ब्याज आय	88,125	88,125	1,16,354	1,01,16,354
		88,125		
नकद और नकद समकक्ष (क+ख+ग) में निवल बढ़ोतरी/(घटोतरी)		(36,70,037)		1,09,91,765
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक शेष)		1,11,54,950		1,63,185
नकद और नकद समकक्ष (अंतिम शेष)		74,84,913		1,11,54,950

पाद टिप्पणी:		
i) उपरोक्ता नकद प्रवाह विवरण "नकद प्रवाह विवरण" पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यगक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है। ii) जहां भी आवश्यहक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: व्यवस्थित/फिर से एकजुट कर दिया गया है।		
<u>लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</u> यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार **एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए** चार्टर्ड अकाउंटेंट, (एफआरएन: 05842एन)	निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड**	
	<u>शिबा पी मोहपात्रा</u> निदेशक <u>डी आई एन: 06748009</u>	<u>सौरभ कुमार तिवारी</u> अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक <u>डी आई एन: 03606497</u>
(सीए अनिल ईशपुनिया्नी) साथी एमआरएन: 096313 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 31-07-2017		

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु लेखाओं का भाग बनने वाला नोट

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क) कारपोरेट सूचना

हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (कंपनी) एक सार्वजनिक कंपनी है जिसे 17 जनवरी, 2005 को शामिल किया गया है और 18 मार्च 2014 से सरकारी कंपनी बन गई है। कंपनी का समावेश एसपीए के खंड 7.10 और 13-02 को लागू किए गए एसएचए के 4.7 अनुपालन के अनुसार किया गया था। -2002 भारत सरकार और मैसर्स पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य टाटा समूह की कंपनियां, जिसमें वीएसएनएल के विनिवेश के समय की पहचान की गई अधिशेष भूमि कंपनी के विलय के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था की योजना के अनुसार डिमर्ज की गई थी। कंपनी अधिनियम की धारा 391 से 3 9 4 जबकि कंपनी का 51.12% इक्विटी शेयर, दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत सरकार के पास है, शेष इक्विटी शेयर मैसर्स पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड के पास हैं।

ख) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचय आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार और प्रस्तुत किया गया है। ये बयान कंपनियों के नियम 7 के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं (लेखा) नियम 2014 और अधिसूचित सीमा तक कार्य का प्रावधान। लेखांकन नीतियों को लगातार कंपनी पर लागू किया गया है जब तक अन्यथा नहीं कहा गया है।

सभी संपत्ति और देनदारियों को कंपनी के सामान्य ऑपरेटिंग चक्र के अनुसार मौजूदा या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची 3 में निर्धारित अन्य मानदंडों को शामिल किया गया है। कंपनी के संचालन की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने इसका पता लगाया है सभी संपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए 12 महीनों के रूप में परिचालन चक्र

ग) आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी भारतीय जी.ए.ए.पी. (आम तौर पर स्वीकार किए जाते लेखा सिद्धांतों) के अनुरूप है और वित्तीय अनुमानों की तिथि पर आकस्मिक देनदारियों की संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा और अनुमानों को प्रभावित करने वाले अनुमान और अनुमानों को प्रबंधित करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने और लागू करने के अनुमान और मान्यताओं को वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार मौजूदा घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है। हालांकि, मान्यताओं और अनुमानों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण, वास्तविक अनुमान अनुमानित अनुमान से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के लिए कोई संशोधन मौजूदा और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है।

घ) राजस्व मान्यता

1. राजस्व को केवल तभी पहचान लिया जाता है जब यह भरोसेमंद रूप से मापा जा सकता है और अंतिम संग्रह की अपेक्षा उचित है:
2. पक्षपात और अन्य दावों / धनवापसी से ब्याज आय पहचाने जाते हैं जब विवेकपूर्णता के आधार पर अंतिम संग्रह की उचित निश्चितता होती है।
3. आय के अन्य आइटम प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त हैं।

ङ) अचल संपत्तियां

मूर्त अचल संपत्तियां अधिग्रहण या निर्माण (करों और टैक्स जो कि बाद में कर लगाने वाले अधिकारियों से वसूल कर लिए जाने वाले हैं) की कीमत पर कहा जाता है, कम जमा मूल्यह्रास अधिग्रहण और तय परिसंपत्ति की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष रूप से सभी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है और इसमें निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की लागत या मूर्त अचल संपत्तियों की योग्यता के अधिग्रहण शामिल हैं।

च) मूल्यह्रास

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लिए अनुसूची 2 के तहत निर्धारित अनुसार आकस्मिक उपयोगी जीवन के लिखित नीचे विधि पर मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का आरोप लगाया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदा / प्राप्त किए गए संपत्ति पर मूल्यह्रास का शुल्क लिया जाता है। परिसंपत्ति की अतिरिक्त / खरीद की तारीख इसी तरह, वर्ष के दौरान बेचे गए / छोड़े गए परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की बिक्री / छोड़ने पर लगाई गई है।

छ) <u>प्रति शेयर आय</u>

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ / (हानि) को विभाजित करके असाधारण आय की हिस्सेदारी को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए एडजस्टेड के रूप में यानी डिलीटिव संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित आय के अनुसार कर के बाद लाभ / (हानि) को विभाजित करके लाभांश / हानि को विभाजित करके गणना की गई है। इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या द्वारा प्रति शेयर मूल आय और भारित औसत इक्विटी शेयरों के लिए माना जाने वाले शेयरों के लिए माना जाता है जो कि सभी डिलीटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे। संभावित इक्विटी शेयर केवल अगर केवल इक्विटी शेयरों में अपना रूपांतरण सामान्य शेयरों से शुद्ध लाभ कम हो जाएगा तो केवल धीमी गति से माना जाएगा। संभावित पतला इक्विटी शेयर को इस अवधि की शुरुआत में परिवर्तित किया जाना माना जाता है, जब तक कि वे बाद की तारीख में जारी नहीं किए गए हैं। लाभप्रद संभावित इक्विटी शेयरों को प्राप्त आय के लिए समायोजित किया जाता है, वास्तव में उचित मूल्य पर शेयर जारी किए गए थे (यानी बकाया शेयरों का औसत बाजार मूल्य)। Dilutive संभावित इक्विटी शेयर स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए निर्धारित हैं ईक्विटी शेयरों की संख्या और संभावित रूप से इयूल्यूटिव इक्विटी शेयरों को शेयर स्प्लिट / रिवर्स शेयर स्प्लिट्स और बोनस शेयरों के लिए उपयुक्त के रूप में समायोजित किया जाता है।

ज) **आय पर कर**

चालू-कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में यथा-निर्धारित वर्ष के लिए योग्य आय पर देय कर की राशि है।

कर-कानून के अनुसरण में प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भावी आय-कर देयता के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्रदान करता है, को एक परिसम्पत्ति समझा जाता है, यदि विश्वासोत्पादक साक्ष्य हो कि कम्पनी सामान्य आय-कर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एम.ए.टी. को तुलन-पत्र में एक परिसम्पत्ति समझा जाता है जब यह संभावित हो कि इससे सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को उपलब्ध होंगे।

सामयिक अंतरों जो कर योग्य आय तथा लेखा-आय जो एक अवधि में प्रारंभ होती है और एक अथवा अधिक उत्तरवर्ती अवधियों में प्रतिलोम के योग्य है, के बीच का अंतर होता है, को अस्थगित-कर माना जाता है। अस्थगित-कर को कर-दरों तथा अधिनियमित कर-कानूनों अथवा रिपोर्ट की गई तारीख पर पर्याप्त रूप से अधिनियमन का प्रयोग करते हुए आंका जाता है। अस्थगित-कर देयता सभी सामयिक अंतरों के लिए मानी जाती है। अनवशोषित मूल्यहास तथा अगले लाभ से घाटा-पूर्ति के संबंध में अस्थगित कर परिसम्पत्तियां तभी मान्य हैं यदि वास्तविक निश्चितता हो कि ऐसी परिसम्पत्तियों की वसूली करने के लिए पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी। अस्थगित कर-परिसम्पत्तियां अन्य मदों के लिए ही उस सीमा तक सामयिक अंतरों के लिए मान्य है कि इस आशय की पर्याप्त निश्चितता विद्यमान है कि पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिनसे इन्हें वसूला जा सकता है। अस्थगित परिसम्पत्तियां तथा देयताएं क्षतिपूर्ति हैं यदि ऐसी मदें उसी अभिशासी कर-कानूनों द्वारा आय पर लगाए गए करों से संबंधित है तथा कम्पनी का ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है। अस्थगित कर परिसम्पत्तियों की उनकी वसूली के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है।

ञ) **उधार लागत**

उधार लागतों में ब्याज, वहन की गई आनुषंगिक लागतों का परिशोधन तथा विदेशी मुद्रा उधार का उस सीमा तक विनियम अंतर शामिल है, कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन की सीमा तक समझा जाए। अर्हता प्राप्त परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण संबंधी अप्रत्यक्ष सीमा तक निधियों को उधार लिए जाने की लागत ऋण अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण से प्रभारित किया जाता है। अर्हता प्राप्त परिसम्पत्तियों की पूंजीकरण तारीख तक इनके निर्माण/विकास संबंधी कार्यकलापों को प्रारंभ किए जानेकी अवधि से उधार लागतों, अर्हता प्राप्त परिसम्पत्तियों के आबंटन और उपयोगिता को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है। जब अर्हता प्राप्त परिसम्पत्ति संबंधी विकास कार्यकलापों को विस्तारित किया जाता है, तो विस्तारित अवधि के दौरान उधार के पूंजीकरण कार्य को लंबित रखते हुए इसे लाभ और हानि विवरण से प्रभारित किया जाता है।

ट) **नकद और नकद समकक्ष**

नकद और नकद समकक्ष में बैंक और हाथ पर और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ लघु अवधि के निवेश पर नकद शामिल हैं

ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

(i) प्रावधान

एक प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान दायित्व है, यदि यह संभावित है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की मात्रा से किया जा सकता है।

(ii) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है, जब पिछले घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभव दायित्व है, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना पर ही पुष्टि की जाएगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व से पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां यह संभावित नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह करने की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

(iii) आकस्मिक संपत्ति

वित्तीय वक्तव्यों में आकस्मिक संपत्ति न तो मान्यता प्राप्त होती है और न ही प्रकट होती है।

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का नोट

(राशि रू. में)

		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
2.	**शेयर पूंजी इक्विटी**		
	प्राधिकृत पूंजी		
	10 रू. प्रति शेयर के 25,00,000 (पिछले वर्ष 25,00,000) इक्विटी शेयर	25,00,000	25,00,000
	निर्गम, अभिदत्त और पूर्णत: संदत्त		
	10 रू. प्रति शेयर के 50,000 (पिछले वर्ष 50,000) इक्विटी शेयर	5,00,000	5,00,000
		5,00,000	**5,00,000**

क) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान और शेयर पूंजी की वार्षिक

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	50,000	5,00,000	50,000	5,00,000
जोड़ें- वर्ष के दौरान आबंटित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**50,000**	**5,00,000**	**50,000**	**5,00,000**

ख) सामान्य शेयर: कम्पनी में एक वर्ग सामान्य शेयर होते हैं, जो कि बराबर मूल्य के बराबर है। 10 प्रति शेयर प्रत्येक शेयरधारक, आयोजित एक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले में, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। लाभांश सहित सभी मामलों में कंपनी के पारी-पारू के भुगतान-अप इक्विटी शेयर परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरहोल्डिंग के अनुपात में सभी तरजीही राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

ग) कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	संख्या	**धारण%**	**संख्या**	**धारण%**
पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड	24,440	48.8%	24,440	48.8%
भारत के राष्ट्रपति (दूरसंचार विभाग के माध्यम से)	25.560	51.12%	25.560	51.12%

3.	**आरक्षित तथा अधिशेष लाभ और हानि लेखा**				
	गत तुलन-पत्र के अनुसार शेष		(3,93,790)		(3,73,079)
	(+) चालू वर्ष का लाभ-हानि		(1,01,825)		(20,711)
			(4,95,615)		**(3,93,790)**

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का नोट

(राशि रू. में)

		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
4.	**गैर-चालू देयताएं**		
	दीर्घावधि ऋण		
	भारत सरकार से असुरक्षित ऋण	1,00,00,000	1,00,00,000
		1,00,00,000	**1,00,00,000**

टिप्पणी : भारत सरकार से दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मार्च, 2015 के संस्वीकृत ज्ञापन के माध्यम से ऋण लिया गया है तथा ऋण के निबंधन और शर्तों पर वित्त मंत्रालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। ऐसे निबंधनों और शर्तों को अभी वित्त मंत्रालय से प्राप्त किया जाना है।

कंपनी ने प्रारंभिक लागतों को पूरा करने, जिनमें भूमि अधिग्रहण हेतु आकस्मिक व्यय और दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक खर्च शामिल हैं, के लिए भारत सरकार से 1 करोड़ रूपये की धनराशि ऋण के तौर पर ली है तथा सरकार से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के आधार पर सुलभ ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है :-

(i) ऋण-स्थगन अवधि ऋण आहारित करने अथवा भूमि विक्रय प्रक्रियां को अंतिम रूप दिये जाने की तारीख, जो भी पहले हो से 5 वर्ष की अवधि तक पुनर्भुगतान की अनुमति प्रदान की जाए।

(ii) इसमें कोई पूर्व-भुगतान शास्ति खंड नहीं होगा।

(iii) ऋण 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के सामान्य नाममात्र दर पर प्रदान किया जाएगा।

(iv) कंपनी को 5 वर्ष की ऋण-स्थगन अवधि के बाद पांच एकसमान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान की अनुमति प्रदान की जाए।

(v) ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए।

सरकार द्वारा ऋण के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रियां लंबित होने के कारण, एचपीआईएल ने सरकार को यह वचन दिया है कि कंपनी वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई शर्तों और निबंधनों की अनुपालना करेगी और तदनुसार 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य नाममात्र दर से ब्याज देयताओं के प्रावधानों का निर्धारण किया गया है।

5.	**अन्य चालू देयताएं**		
	क) देय लेखा-परीक्षा शुल्क	23,000	11,500
	ख) सुरक्षा जमा	6,00,000	6,00,000
	ग) भारत सरकार से ऋण पर अर्जित ब्याज लेकिन अभी तक देय नहीं	10,00,000	5,00,000
	घ) देय कानूनी व्यय	-	18,90,000
	ड.) सांविधिक देय - (स्रोत पर काटा गया कर)	-	2,18,015
	च) देय अन्य व्यय	-	73,135
		16,23,000	**32,92,650**
6.	**चल रहे पूंजीगत कार्य**		
	कानूनी व्यय	39,00,000	21,00,000
		39,00,000	**21,00,000**

(टिप्पणी : एचपीआईसीएल के पक्ष में अतिरिक्त भूमि का प्रयोग करने, शीर्षकों के संबंध में यथा सतर्कता पर वहन किया गया विधिक व्यय)

तदुपरांत, एचपीआईएल में 51.12 प्रतिशत शेयर अधिग्रहित करने के बाद दूरसंचार विभाग ने कंपनी को कंपनी विधि मामलों, विधिक, भू-राजस्व और कराधान मामलों में विशेषज्ञता वाली परामर्शी फर्म की नियुक्ति हेतु ऋण प्रदान किया है। परामर्शी फर्म को मैसर्स वीएसएनएल (अब मैसर्स टीसीएल) की अतिरिक्त भूमि को मैसर्स एचपीआईएल के पक्ष में करने हेतु प्रबंध योजना को अंतिम रूप देने हेतु शीर्षकों के संबंध में यथा सतर्कता, भूमि उपयोग में बदलाव और अन्य सभी प्रारंभिक कदम उठाने का कार्य करना होगा। इनके अतिरिक्त, कंपनी को मैसर्स टीसीएल से एचपीआईएल के पक्ष में अतिरिक्त भूमि के अंतरण हेतु स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान भी करना होगा। लेखाओं के उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत साम्यता इन्फ्यूजन और पर्याप्त निधियों की उपलब्धता लंबित होने के कारण स्टांप ड्यूटी और विधिक परामर्शदाता के भुगतान पर किया गया व्यय "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

7.	**नकद और नकद समकक्ष**		
	क) हाथ रोकड़	-	-
	ख) अनुसूचित बैंकों के पास शेष		
	अल्पावधि जमा पर	74,24,739	110,72,176
	चालू बैंक खाता पर	60,174	82,774
		74,84,913	**111,54,950**
8.	**अल्पावधि, ऋण और अग्रिम**		
	अल्पावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	-	20,639
	ब्याज आय पर टीडीएस	2,42,472	1,23,271
		2,42,472	**1,43,910**

(राशि रू. में)

		31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
9.	**अन्य स्रोतों से आय**		
	अल्पावधि बैंक जमा पर अर्जित ब्याज आय	5,88,125	6,16,354
	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	-	22,000
		5,88,125	**6,38,354**
10.	**वित्त लागत**		
	भारत सरकार से ऋण पर ब्याज	5,00,000	5,00,000
		5,00,000	**5,00,000**
11.	**अन्य प्रशासनिक तथा विविध व्यय**		
	लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक	23,000	11,500
	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	22,000	17,840
	विविध व्यय	950	10,000
	मुद्रण और लेखन सामग्री	6,000	6000
	स्थानीय परिवहन	-	1792
	वेतन, अनुलाभ और रिटेनरशिप	1,38,000	1,11,933
		1,89,950	**1,59,065**

12. <u>प्रति शेयर आमदनी</u>

कर के बाद लाभ	(1,01,825)	(20,711)
इक्विटी शेयरधारकों के मुताबिक लाभ और नुकसान	(1,01,825)	(20,711)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	50,000	50,000
प्रति शेयर मूल तथा कम आमदनी	(2.04)	(0.41)
प्रति शेयर का नाम-मात्र मूल्य	10	10

<u>टिप्पणियाँ खाते में:</u>

13. दीर्घकालिक उधार, व्यापार देय, अन्य वर्तमान देनदारियों, व्यापार प्राप्तियों और अन्य अल्पावधि ऋण और अग्रिम के विरुद्ध पूर्वगामी तुलन-पत्र में दिखाए गए शेष राशि पुष्टि के अधीन हैं।
14. चालू वर्ष और पिछले वर्ष के आंकड़े निकटतम रुपया तक गोल कर दिए गए हैं।
15. वर्ष के दौरान किसी भी समय निदेशकों द्वारा की जाने वाली अधिकतम राशि: शून्य
16.

<u>लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक</u>	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**
सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क	20,000	10,000
उपर्युक्त पर सेवा-कर	3,000	1500
	23,000	**11,500**

17. आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रदान नहीं किया गया:
कंपनी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति / विभाग द्वारा दावेदार / दावा दायर नहीं किया गया है: शून्य
18. कंपनी को सूक्ष्म और मझौले उद्यम अधिनियम, 2006 के तहत बैलेंस शीट की तारीख के तहत अपने स्थिति के बारे में आपूर्तिकर्ता से कोई सूचना नहीं मिली है इसलिए ऐसा कोई खुलासा नहीं कहा गया है कि कार्य किया गया है।
19. संबंधित पार्टी लेनदेन (एस -18 के अनुसार)
सभी संबंधित पार्टियों को प्रबंधन द्वारा पहचाने गए हैं और ऑडिटरों द्वारा भरोसा किया है।
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी:
श्री सौरभ कुमार तिवारी (अध्यक्ष सह एमडी)
श्री शीबा पी मोहपात्र (निदेशक)
20. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण

रुपये में राशि

लेनदेन की प्रकृति	2016-17	2015-16
	उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट	उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट
प्रबंध निदेशक को वेतन	शून्य	शून्य
निदेशक को वेतन	शून्य	शून्य
देय शेष वेतन का भुगतान	शून्य	शून्य

21. आयकर के तहत संचित घाटे के कारण आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि चटाई प्रावधान किया गया है।

22. कंपनी एक छोटे और मध्यम आकार की कंपनी (एसएमसी) है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के संबंध में सामान्य निर्देशों में परिभाषित है। तदनुसार, कंपनी ने एक छोटे और मध्यम आकार की कंपनी पर लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया है ।

23. पिछले वर्षों के आंकड़ों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्संगणित किए गए हैं जहां कहीं भी आवश्यक है।

24. नोट 1 से 24 खाते का एक अभिन्न अंग बनाते हैं और प्रमाणित किए गए हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एफआरएन: 05842 एन)

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

शिबा पी मोहपात्रा	सौरभ कुमार तिवारी
निदेशक	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 06748009	डी आई एन: 03606497

(सीए अनिल ईशपुनियानी)

साथी

एमआरएन: 096313

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 31-07-2017

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के वित्तीय-विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया सांविधिक लेखा-परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा-परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय-विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह दिनांक 31 जुलाई, 2017 के उनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के वित्तीय-विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय किया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक के लिए
तथा उनकी ओर से

ह0/-
(पी.के. तिवारी)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
(डाक तथा दूरसंचार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक:10.08.2017

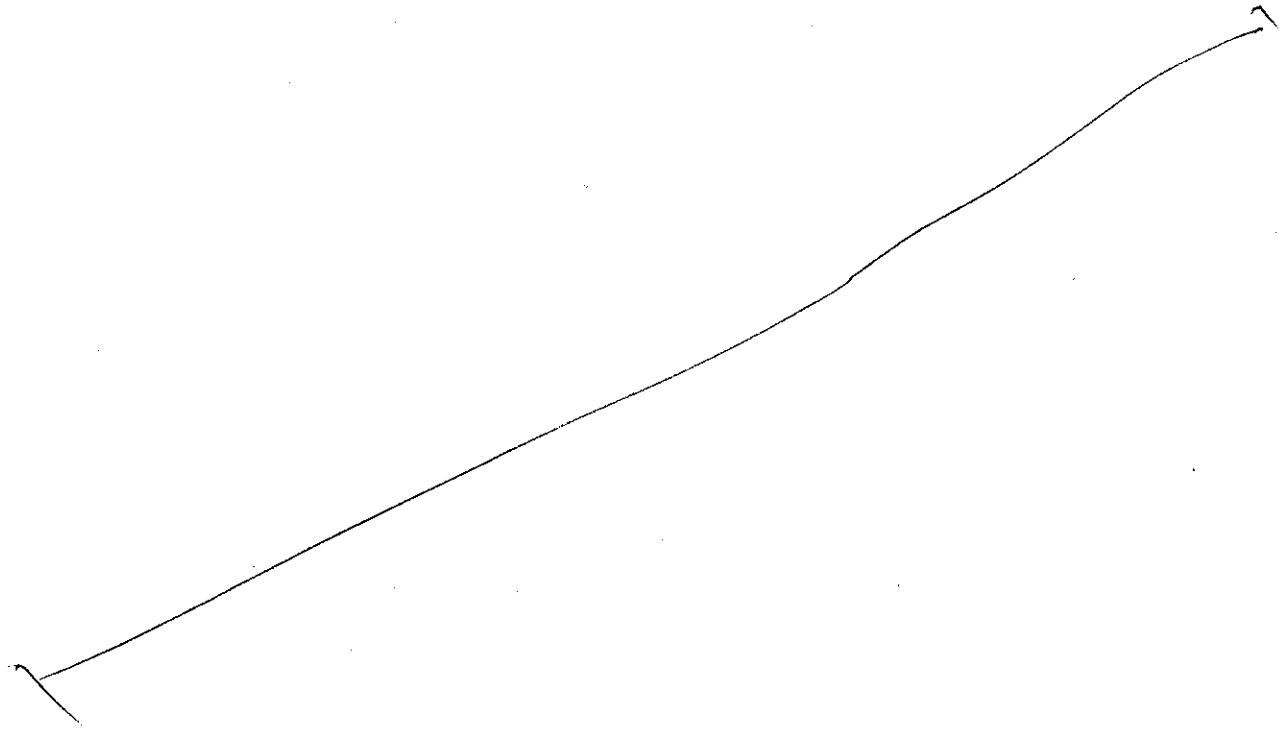

Board of Directors

Chairman & Managing Director
Shri Saurabh Kumar Tiwari

Directors

Shri C V Manoj Kumar
Shri Shiba Prasad Mohapatra

Auditor

Statutory Auditor
M/s AEPN & Associates
Chartered Accountants
309 & 516, Jaina Tower-1
District Centre, Janakpuri
New Delhi-110058

Preface: Hemisphere Properties India Limited (HPIL)

At the time of strategic sale of 25% equity stake in Videsh Sanchar Nigam Limited (now Tata Communications Limited - TCL) in the year 2002, surplus land measuring 773.13 acres was identified out of total 1230.13 acres of land at four stations and decided that this land will not be a part of disinvestment bid and will be de-merged into a separate resulting Company.

Subsequently, a Resulting Company by the name Hemisphere Properties India Limited (HPIL) was incorporated in January 2005 and Government of India acquired majority shareholding of 51.12% in 2014 and assumed management control in the Company. HPIL has thus become a Public Sector Undertaking (PSU) under the Department of Telecommunications, Ministry of Communications. Among other things the object of the company is to construct, acquire, hold, manage, develop, administer, protect, preserve and deal in any other manner with surplus land, including sale and purchase.

Substantial progress has been made to finalize the 'Scheme of Arrangement' to facilitate de-merger of surplus land from TCL to HPIL. Due diligence on the title deed, physical verification, demarcation and the process of transfer of Surplus Land is underway. After completing various statutory procedures, the 'Scheme of Arrangement' shall be placed before the National Company Law Tribunal (NCLT) / Ministry of Corporate Affairs. Necessary steps have been initiated for increase in authorized share capital, equity infusion, de-materialisation of shares, listing, filing with Competition Commission of India, etc.

Homebuyers Properties India Limited
CIN: U70101DL2005GOI132162
Regd Office Address: Room No.409, Sanchar Bhawan
Ashok Road, New Delhi- 110001
Email ID: ddglf2-dot@nic.in
Contact: 011- 23372136

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Friday, 22nd day of September, 2017 at 3:00 P.M. at Committee Room 2nd Floor, Sanchar Bhawan, Ashoka Road, New Delhi - 110001 to transact the following businesses: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as on 31st March, 2017, the Profit and Loss Account for the year ended on that date and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.

2. To appoint a Director in place of Mr. Saurabh Kumar Tiwari (DIN: 03606497), who retires by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.

3. To consider and fix the Remuneration of the Auditors for the Financial Year 2017-18.

SPECIAL BUSINESS:

4. **Increase in the Authorized Share Capital of the Company:**

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 61(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for time being in force) consent of Members be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company from Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakhs) divided into 2,50,000 (Two Lakhs Fifty Thousand) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 100,000,000,000/- (Rupees Ten Thousand Crores) divided into 9,000,000,000 (Nine Hundred Crores) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each ranking pari- pasu with existing Equity Shares of the company and 1,000,000,000 (One Hundred Crores) preference shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and that in Clause V of the Memorandum of Association of the Company, for the words and figures

"The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakhs) divided into 2,50,000 (Two Lakhs Fifty Thousand) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each" the following shall be substituted:

"The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 100,000,000,000/- (Rupees Ten Thousand Crores) divided into 9,000,000,000 (Nine Hundred Crores) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 1,000,000,000 (One Hundred Crores) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each".

RESOLVED FURTHER THAT all directors of the Board be and are hereby jointly and severally authorised to do all such act, things to give effect to the resolution and to file necessary forms with Registrar of Companies."

5. To Borrow Money under Section 180 of the Companies Act, 2013:

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of section 180(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 or any other law for the time being in force (including any statutory modification or amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force) and in terms of the article of association of the Company, the Consent of the members of the company, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the "Board", which term shall include any committee constituted by the Board or any person(s) authorized by the Board to exercise the power conferred on the Board by this resolution) to borrow, from time to time, such sums of monies on such terms and conditions and with or without security as may be considered fit for the purpose of the business of the Company, notwithstanding that monies to be so borrowed together with the monies already borrowed by the Company (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) may exceed the aggregate of the paid up share capital and free reserves of the Company provided however, that the total borrowing outstanding at any one time shall not exceed Rs. 50 Crores.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to do and perform all such acts, deeds and things as may be necessary, desirable or expedient to give effect to this Resolution including filling of forms with registrar of Companies."

For and on behalf of the Board of
Hemisphere Properties India Limited

(Saurabh Kumar Tiwari)
Managing Director
DIN 03606497
ADDRESS: Type D -I /E 701, Central Govt. Officers Apartment Bapu Dham, Chanakyapuri, New Delhi 110021

Place: Delhi
Date: 25.08.2017

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

अनुलग्नक ए

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड की तारीख की हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में।

1) **फिक्स्ड एससेट्स**
कंपनी में कोई निश्चित संपत्ति नहीं है और इसलिए उक्त आदेश के खंड 1 के उप खंड क, ख और ग लागू नहीं है।

2) कंपनी की कोई सूची नहीं है और इसलिए उक्त आदेश की धारा 2 लागू नहीं है।

3) कंपनी ने साल के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य दलों के लिए कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

4) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण, गारंटी, और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 का प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने निर्देशक को कोई ऋण नहीं दिया है और कोई गारंटी और सुरक्षा प्रदान नहीं की है इसलिए इस खंड लागू नहीं है।

5) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है और इस संबंध में कोई आदेश कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी कानून ट्रिब्यूनल या रिजर्व बैंक भारत या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा पारित नहीं किया गया है।

6) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के उपखंड (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव का निर्धारित नहीं किया है।

7) (क) हमारी राय में कंपनी प्रॉवीडेंट फंड, कर्मचारी के राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क की कर्तव्य, आबकारी की कर्तव्य, मूल्य वर्धित मूल्य सहित अविवादित वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित है। कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक देयताएं जो उचित प्राधिकारियों के साथ लागू होती हैं।

(ख)आगे हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर या बिक्री कर या संपत्ति कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर या कर्तव्य के कारण कोई बकाया नहीं है या उपकर, जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं।

8) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों को ऋण या उधार लेने की चुकौती और डिबेंचर धारकों को देय राशि में चूक नहीं की है।

9) प्रबंधन द्वारा दी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से ऋण साधनों और अवधि ऋण सहित पैसे नहीं उठाए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधानों को कंपनी पर लागू नहीं किया जाता है और इसलिए टिप्पणी नहीं की गई है

10) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों को गलत रूप से गलत तरीके से बताए जाने के दौरान देखा गया है।

11) हमारी राय में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- V के साथ धारा 197 के प्रावधानों के साथ उपबंध लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी ने निदेशक को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधानों पर लागू नहीं है। कंपनी

12) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

13) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है

14) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या पूरी तरह से या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर के अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किए हैं और इसलिए कंपनी के आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

15) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने उसके निदेशक या उससे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

16) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

हस्ता०

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

अनुलग्नक बी

ऑडिटर रिपोर्ट के संदर्भ में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड** की तारीख की हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है। (पैरा 2 (एफ) में हमारी रिपोर्ट की 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत संदर्भित यहां तक कि तारीख)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 के उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2017 के अनुसार, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ, **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार कर रहा है, जो संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोटिस में दिया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखा अधिनियम की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयार।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") और ऑडिटिंग के मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का आयोजन किया और कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया जाना माना गया। , 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू होते हैं और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का पालन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और रखे गए हों और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित हों तो उचित आश्वासन प्राप्त करें।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, जो कि एक सामग्री कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन

करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।
हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाये जा रहे हैं; और (3) वित्तीय विवरणों पर सामग्री प्रभाव हो सकता है कि कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पहचान के बारे में उचित आश्वासन प्रदान

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक misstatements हो सकता है और पता नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले परिवर्तनों की वजह से अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी सभी वित्तीय मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को 31 मार्च 2017 तक प्रभावी ढंग से संचालन कर रही थी, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों की स्थापना पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थी। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन. नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

एईपीएन और एसोसिएट्स
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)
309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058
टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195
www.aepn-ca.com

अनुलग्नक सी

31 अगस्त 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड** की तारीख की हमारी ऑडिट रिपोर्ट के पैरा 3 में उल्लिखित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में।

1.	क्या कंपनी को रिक्त स्थान और पट्टे पर भूमि के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टे का काम क्रमशः है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए शीर्षक / पट्टे के काम उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी वीएसएनएल (अब टीसीएल) और मैसर्स पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य टाटा समूह की कंपनियों के संबंध में भारत सरकार के बीच 13-02-2002 को एसपीए के क्लॉज 7.10 के अनुच्छेद और 4-6 के एसएचए के अनुपालन में कंपनी, जहां अधिशेष भूमि की पहचान की गई कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था की योजना के अनुसार वीएसएनएल (अब टीसीएल) के विनिवेश के समय इस कंपनी में डिमर्ज किया जाना था। अतिरिक्त भूमि / संपत्ति की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है इसलिए खंड लागू नहीं है।
2.	चाहे छूट के किसी भी मामले / ऋण / ऋण / ब्याज इत्यादि को बंद कर दें। यदि हां, वहां के कारण और इसमें शामिल राशि।	ऐसा कोई भी मामला मनाया नहीं गया है
3.	सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त तृतीय पक्षों और संपत्तियों के साथ झूठ सूची के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाए या अन्य अधिकारियों	कंपनी में कोई सूची नहीं है और उपहार के रूप में सरकार या अन्य अधिकारियों से प्राप्त कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए इस खंड लागू नहीं है।

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 005842एन

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

एईपीएन और एसोसिएट्स

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

309, 207 और 516, जैना टावर -1, जिला केंद्र जनकपुरी, नई दिल्ली -110058

टेलीफोन: +91 11 43588784, मोबाइल: +91 9811433195

www.aepn-ca.com

अनुपालना प्रमाण पत्र

हमने भारत के सीएजीएजी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए गोलार्द्ध संपत्तियों के खातों की लेखा परीक्षा का आयोजन किया है और प्रमाणित किया है कि हमने सभी दिशाओं का अनुपालन किया है हमारे लिए जारी

एईपीएन और एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 005842एन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 31-07-2017

(सीए अनिल ईशपुनियानी)

साथी

एमआरएन: 096313

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन-पत्र

			(राशि रू. में)
	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
क. इक्विटी और देयताएं			
1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	5,00,000	5,00,000
(ख) प्रारक्षित भंडार और आधिक्य	3	(4,95,615)	(3,93,790)
		4,385	**1,06,210**
2) गैर-चालू देयताएं			
दीर्घावधि ऋण	4	1,00,00,000	1,00,00,000
		1,00,00,000	**1,00,00,000**
3) चालू देयताएं			
अन्य चालू देयताएं	5	16,23,000	32,92,650
		16,23,000	**32,92,650**
कुल		**1,16,27,385**	**1,33,98,860**
ख. परिसम्पयत्तियां			
1) गैर-चालू परिसम्पत्तियां			
(क) अचल परिसम्पत्तियां अगोचर परिसम्पत्तियां			
(i) चल रहे पूंजीगत कार्य	6	39,00,000	21,00,000
		39,00,000	**21,00,000**
2) चालू परिसम्पचत्तियां			
क) नकद और नकद समकक्ष	7	74,84,913	1,11,54,950
ख) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	8	2,42,472	1,43,910
		77,27,385	**1,12,98,860**
कुल		**1,16,27,385**	**1,33,98,860**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
वित्तीय विवरणों के लिए अन्यत टिप्पणियां	2 to 24		

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन: 05842एन)
(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

शिबा पी मोहपात्रा	सौरभ कुमार तिवारी
निदेशक	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 06748009	डी आई एन: 03606497

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रू. में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
	सतत प्रचालन			
1	क) प्रचालनों से राजस्व		-	-
	ख) अन्य आय	9	5,88,125	6,38,354
	II. कुल राजस्व		**5,88,125**	**638,354**
2	**व्यय**			
	क) वित्त लागत	10	5,00,000	500,000
	ख) अन्य प्रशासनिक और विविध खर्चे	11	1,89,950	159,065
	कुल व्यय		**6,89,950**	**659,065**
3	कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-III)		(1,01,825)	(20,711)
4	कर व्यय :			
	(क) चालू कर (ख) अस्थगित कर			-
5	अवधि के लिए लाभ/(हानि)		**(1,01,825)**	**(20,711)**
6	**प्रति शेयर आय** 1) बुनियादी 2) तनुकृत	 12 12	 (2.04) (2.04)	 (0.41) (0.41)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां		1		
वित्तीय विवरणों के लिए अन्यत टिप्पणियां		2 to 24		

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन: 05842एन)

(सीए अनिल ईशपुनियानी)
साथी
एमआरएन: 096313
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31-07-2017

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

शिबा पी मोहपात्रा
निदेशक
डी आई एन: 06748009

सौरभ कुमार तिवारी
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 03606497

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(राशि रू. में)

	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह :				
कर-पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		(1,01,825)		(20,711)
निम्न के लिए समायोजन :				
वित्तीय लागत	5,00,000		5,00,000	
ब्याज आय	(5,88,125)	(88,125)	(6,16,354)	(1,16,354)
कार्यरत पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ :		**(1,89,950)**		**(1,37,065)**
निम्न के लिए समायोजन :				
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	1,43,910		(20,639)	
व्यापार देनदारियां और अन्य देयताएं	(16,69,650)	(15,25,740)	11,56,386	11,35,747
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी		**(17,15,690)**		**9,98,682**
भुगतान किए गये प्रत्यदक्ष कर (निवल)		2,42,472	-	1,23,271
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकद (क)		(19,58,252)		8,75,411
ख. निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह:				
जो प्रगति में है		(18,00,000)		
ग. वित्तीकय कार्यकलापों से नकद प्रवाह				
दीर्घावधि ऋण			1,00,00,000	
अल्पावधि बैंक जमा पर ब्याज आय	88,125	88,125	1,16,354	1,01,16,354
		88,125		
नकद और नकद समकक्ष (क+ख+ग) में निवल बढ़ोतरी/(घटोतरी)		(36,70,037)		1,09,91,765
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक शेष)		1,11,54,950		1,63,185
नकद और नकद समकक्ष (अंतिम शेष)		74,84,913		1,11,54,950

पाद टिप्पणी:		
i) उपरोक्ता नकद प्रवाह विवरण "नकद प्रवाह विवरण" पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यगक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है। ii) जहां भी आवश्यहक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: व्यवस्थित/फिर से एकजुट कर दिया गया है।		
<u>लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</u> यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार **एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए** चार्टर्ड अकाउंटेंट, (एफआरएन: 05842एन)	निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से **हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड**	
	<u>शिबा पी मोहपात्रा</u> निदेशक <u>डी आई एन: 06748009</u>	<u>सौरभ कुमार तिवारी</u> अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक <u>डी आई एन: 03606497</u>
(सीए अनिल ईशपुनिया्नी) साथी एमआरएन: 096313 स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 31-07-2017		

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु लेखाओं का भाग बनने वाला नोट

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क) कारपोरेट सूचना

हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (कंपनी) एक सार्वजनिक कंपनी है जिसे 17 जनवरी, 2005 को शामिल किया गया है और 18 मार्च 2014 से सरकारी कंपनी बन गई है। कंपनी का समावेश एसपीए के खंड 7.10 और 13-02 को लागू किए गए एसएचए के 4.7 अनुपालन के अनुसार किया गया था। -2002 भारत सरकार और मैसर्स पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड और अन्य टाटा समूह की कंपनियां, जिसमें वीएसएनएल के विनिवेश के समय की पहचान की गई अधिशेष भूमि कंपनी के विलय के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था की योजना के अनुसार डिमर्ज की गई थी। कंपनी अधिनियम की धारा 391 से 3 9 4 जबकि कंपनी का 51.12% इक्विटी शेयर, दूरसंचार विभाग के माध्यम से भारत सरकार के पास है, शेष इक्विटी शेयर मैसर्स पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड के पास हैं।

ख) तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचय आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार और प्रस्तुत किया गया है। ये बयान कंपनियों के नियम 7 के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं (लेखा) नियम 2014 और अधिसूचित सीमा तक कार्य का प्रावधान। लेखांकन नीतियों को लगातार कंपनी पर लागू किया गया है जब तक अन्यथा नहीं कहा गया है।

सभी संपत्ति और देनदारियों को कंपनी के सामान्य ऑपरेटिंग चक्र के अनुसार मौजूदा या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची 3 में निर्धारित अन्य मानदंडों को शामिल किया गया है। कंपनी के संचालन की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने इसका पता लगाया है सभी संपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए 12 महीनों के रूप में परिचालन चक्र

ग) आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी भारतीय जी.ए.ए.पी. (आम तौर पर स्वीकार किए जाते लेखा सिद्धांतों) के अनुरूप है और वित्तीय अनुमानों की तिथि पर आकस्मिक देनदारियों की संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा और अनुमानों को प्रभावित करने वाले अनुमान और अनुमानों को प्रबंधित करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने और लागू करने के अनुमान और मान्यताओं को वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार मौजूदा घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है। हालांकि, मान्यताओं और अनुमानों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण, वास्तविक अनुमान अनुमानित अनुमान से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के लिए कोई संशोधन मौजूदा और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है।

घ) राजस्व मान्यता

1. राजस्व को केवल तभी पहचान लिया जाता है जब यह भरोसेमंद रूप से मापा जा सकता है और अंतिम संग्रह की अपेक्षा उचित है:
2. पक्षपात और अन्य दावों / धनवापसी से ब्याज आय पहचाने जाते हैं जब विवेकपूर्णता के आधार पर अंतिम संग्रह की उचित निश्चितता होती है।
3. आय के अन्य आइटम प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त हैं।

ङ) अचल संपत्तियां

मूर्त अचल संपत्तियां अधिग्रहण या निर्माण (करों और टैक्स जो कि बाद में कर लगाने वाले अधिकारियों से वसूल कर लिए जाने वाले हैं) की कीमत पर कहा जाता है, कम जमा मूल्यह्रास अधिग्रहण और तय परिसंपत्ति की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष रूप से सभी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है और इसमें निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की लागत या मूर्त अचल संपत्तियों की योग्यता के अधिग्रहण शामिल हैं।

च) मूल्यह्रास

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लिए अनुसूची 2 के तहत निर्धारित अनुसार आकस्मिक उपयोगी जीवन के लिखित नीचे विधि पर मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास का आरोप लगाया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदा / प्राप्त किए गए संपत्ति पर मूल्यह्रास का शुल्क लिया जाता है। परिसंपत्ति की अतिरिक्त / खरीद की तारीख इसी तरह, वर्ष के दौरान बेचे गए / छोड़े गए परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की बिक्री / छोड़ने पर लगाई गई है।

छ) <u>प्रति शेयर आय</u>

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद लाभ / (हानि) को विभाजित करके असाधारण आय की हिस्सेदारी को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए एडजस्टेड के रूप में यानी डिलीटिव संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित आय के अनुसार कर के बाद लाभ / (हानि) को विभाजित करके लाभांश / हानि को विभाजित करके गणना की गई है। इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या द्वारा प्रति शेयर मूल आय और भारित औसत इक्विटी शेयरों के लिए माना जाने वाले शेयरों के लिए माना जाता है जो कि सभी डिलीटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे। संभावित इक्विटी शेयर केवल अगर केवल इक्विटी शेयरों में अपना रूपांतरण सामान्य शेयरों से शुद्ध लाभ कम हो जाएगा तो केवल धीमी गति से माना जाएगा। संभावित पतला इक्विटी शेयर को इस अवधि की शुरुआत में परिवर्तित किया जाना माना जाता है, जब तक कि वे बाद की तारीख में जारी नहीं किए गए हैं। लाभप्रद संभावित इक्विटी शेयरों को प्राप्त आय के लिए समायोजित किया जाता है, वास्तव में उचित मूल्य पर शेयर जारी किए गए थे (यानी बकाया शेयरों का औसत बाजार मूल्य)। Dilutive संभावित इक्विटी शेयर स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए निर्धारित हैं ईक्विटी शेयरों की संख्या और संभावित रूप से इयूल्यूटिव इक्विटी शेयरों को शेयर स्प्लिट / रिवर्स शेयर स्प्लिट्स और बोनस शेयरों के लिए उपयुक्त के रूप में समायोजित किया जाता है।

ज) **आय पर कर**

चालू-कर, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में यथा-निर्धारित वर्ष के लिए योग्य आय पर देय कर की राशि है।

कर-कानून के अनुसरण में प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भावी आय-कर देयता के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्रदान करता है, को एक परिसम्पत्ति समझा जाता है, यदि विश्वासोत्पादक साक्ष्य हो कि कम्पनी सामान्य आय-कर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एम.ए.टी. को तुलन-पत्र में एक परिसम्पत्ति समझा जाता है जब यह संभावित हो कि इससे सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को उपलब्ध होंगे।

सामयिक अंतरों जो कर योग्य आय तथा लेखा-आय जो एक अवधि में प्रारंभ होती है और एक अथवा अधिक उत्तरवर्ती अवधियों में प्रतिलोम के योग्य है, के बीच का अंतर होता है, को अस्थगित-कर माना जाता है। अस्थगित-कर को कर-दरों तथा अधिनियमित कर-कानूनों अथवा रिपोर्ट की गई तारीख पर पर्याप्त रूप से अधिनियमन का प्रयोग करते हुए आंका जाता है। अस्थगित-कर देयता सभी सामयिक अंतरों के लिए मानी जाती है। अनवशोषित मूल्यहास तथा अगले लाभ से घाटा-पूर्ति के संबंध में अस्थगित कर परिसम्पत्तियां तभी मान्य हैं यदि वास्तविक निश्चितता हो कि ऐसी परिसम्पत्तियों की वसूली करने के लिए पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी। अस्थगित कर-परिसम्पत्तियां अन्य मदों के लिए ही उस सीमा तक सामयिक अंतरों के लिए मान्य है कि इस आशय की पर्याप्त निश्चितता विद्यमान है कि पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिनसे इन्हें वसूला जा सकता है। अस्थगित परिसम्पत्तियां तथा देयताएं क्षतिपूर्ति हैं यदि ऐसी मदें उसी अभिशासी कर-कानूनों द्वारा आय पर लगाए गए करों से संबंधित है तथा कम्पनी का ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है। अस्थगित कर परिसम्पत्तियों की उनकी वसूली के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है।

ञ) **उधार लागत**

उधार लागतों में ब्याज, वहन की गई आनुषंगिक लागतों का परिशोधन तथा विदेशी मुद्रा उधार का उस सीमा तक विनियम अंतर शामिल है, कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन की सीमा तक समझा जाए। अर्हता प्राप्त परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण संबंधी अप्रत्यक्ष सीमा तक निधियों को उधार लिए जाने की लागत ऋण अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण से प्रभारित किया जाता है। अर्हता प्राप्त परिसम्पत्तियों की पूंजीकरण तारीख तक इनके निर्माण/विकास संबंधी कार्यकलापों को प्रारंभ किए जानेकी अवधि से उधार लागतों, अर्हता प्राप्त परिसम्पत्तियों के आबंटन और उपयोगिता को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है। जब अर्हता प्राप्त परिसम्पत्ति संबंधी विकास कार्यकलापों को विस्तारित किया जाता है, तो विस्तारित अवधि के दौरान उधार के पूंजीकरण कार्य को लंबित रखते हुए इसे लाभ और हानि विवरण से प्रभारित किया जाता है।

ट) **नकद और नकद समकक्ष**

नकद और नकद समकक्ष में बैंक और हाथ पर और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ लघु अवधि के निवेश पर नकद शामिल हैं

ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

(i) प्रावधान

एक प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान दायित्व है, यदि यह संभावित है कि आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की मात्रा से किया जा सकता है।

(ii) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है, जब पिछले घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभव दायित्व है, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना पर ही पुष्टि की जाएगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या वर्तमान दायित्व से पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां यह संभावित नहीं है कि संसाधनों का बहिर्वाह करने की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

(iii) आकस्मिक संपत्ति

वित्तीय वक्तव्यों में आकस्मिक संपत्ति न तो मान्यता प्राप्त होती है और न ही प्रकट होती है।

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का नोट

(राशि रू. में)

		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
2.	**शेयर पूंजी इक्विटी**		
	प्राधिकृत पूंजी		
	10 रू. प्रति शेयर के 25,00,000 (पिछले वर्ष 25,00,000) इक्विटी शेयर	25,00,000	25,00,000
	निर्गम, अभिदत्त और पूर्णत: संदत्त		
	10 रू. प्रति शेयर के 50,000 (पिछले वर्ष 50,000) इक्विटी शेयर	5,00,000	5,00,000
		5,00,000	**5,00,000**

क) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान और शेयर पूंजी की वार्षिक

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	50,000	5,00,000	50,000	5,00,000
जोड़ें- वर्ष के दौरान आबंटित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**50,000**	**5,00,000**	**50,000**	**5,00,000**

ख) सामान्य शेयर: कम्पनी में एक वर्ग सामान्य शेयर होते हैं, जो कि बराबर मूल्य के बराबर है। 10 प्रति शेयर प्रत्येक शेयरधारक, आयोजित एक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले में, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। लाभांश सहित सभी मामलों में कंपनी के पारी-पारू के भुगतान-अप इक्विटी शेयर परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयरहोल्डिंग के अनुपात में सभी तरजीही राशि के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

ग) कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	संख्या	**धारण%**	**संख्या**	**धारण%**
पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड	24,440	48.8%	24,440	48.8%
भारत के राष्ट्रपति (दूरसंचार विभाग के माध्यम से)	25.560	51.12%	25.560	51.12%

3.	**आरक्षित तथा अधिशेष लाभ और हानि लेखा**				
	गत तुलन-पत्र के अनुसार शेष		(3,93,790)		(3,73,079)
	(+) चालू वर्ष का लाभ-हानि		(1,01,825)		(20,711)
			(4,95,615)		**(3,93,790)**

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का नोट

(राशि रू. में)

		31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
4.	**गैर-चालू देयताएं**		
	दीर्घावधि ऋण		
	भारत सरकार से असुरक्षित ऋण	1,00,00,000	1,00,00,000
		1,00,00,000	**1,00,00,000**

टिप्पणी : भारत सरकार से दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मार्च, 2015 के संस्वीकृत ज्ञापन के माध्यम से ऋण लिया गया है तथा ऋण के निबंधन और शर्तों पर वित्त मंत्रालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। ऐसे निबंधनों और शर्तों को अभी वित्त मंत्रालय से प्राप्त किया जाना है।

कंपनी ने प्रारंभिक लागतों को पूरा करने, जिनमें भूमि अधिग्रहण हेतु आकस्मिक व्यय और दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक खर्च शामिल हैं, के लिए भारत सरकार से 1 करोड़ रूपये की धनराशि ऋण के तौर पर ली है तथा सरकार से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के आधार पर सुलभ ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है :-

(i) ऋण-स्थगन अवधि ऋण आहारित करने अथवा भूमि विक्रय प्रक्रियां को अंतिम रूप दिये जाने की तारीख, जो भी पहले हो से 5 वर्ष की अवधि तक पुनर्भुगतान की अनुमति प्रदान की जाए।

(ii) इसमें कोई पूर्व-भुगतान शास्ति खंड नहीं होगा।

(iii) ऋण 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के सामान्य नाममात्र दर पर प्रदान किया जाएगा।

(iv) कंपनी को 5 वर्ष की ऋण-स्थगन अवधि के बाद पांच एकसमान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान की अनुमति प्रदान की जाए।

(v) ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए।

सरकार द्वारा ऋण के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रियां लंबित होने के कारण, एचपीआईएल ने सरकार को यह वचन दिया है कि कंपनी वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई शर्तों और निबंधनों की अनुपालना करेगी और तदनुसार 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य नाममात्र दर से ब्याज देयताओं के प्रावधानों का निर्धारण किया गया है।

5.	**अन्य चालू देयताएं**		
	क) देय लेखा-परीक्षा शुल्क	23,000	11,500
	ख) सुरक्षा जमा	6,00,000	6,00,000
	ग) भारत सरकार से ऋण पर अर्जित ब्याज लेकिन अभी तक देय नहीं	10,00,000	5,00,000
	घ) देय कानूनी व्यय	-	18,90,000
	ड.) सांविधिक देय - (स्रोत पर काटा गया कर)	-	2,18,015
	च) देय अन्य व्यय	-	73,135
		16,23,000	**32,92,650**
6.	**चल रहे पूंजीगत कार्य**		
	कानूनी व्यय	39,00,000	21,00,000
		39,00,000	**21,00,000**

(टिप्पणी : एचपीआईसीएल के पक्ष में अतिरिक्त भूमि का प्रयोग करने, शीर्षकों के संबंध में यथा सतर्कता पर वहन किया गया विधिक व्यय)

तदुपरांत, एचपीआईएल में 51.12 प्रतिशत शेयर अधिग्रहित करने के बाद दूरसंचार विभाग ने कंपनी को कंपनी विधि मामलों, विधिक, भू-राजस्व और कराधान मामलों में विशेषज्ञता वाली परामर्शी फर्म की नियुक्ति हेतु ऋण प्रदान किया है। परामर्शी फर्म को मैसर्स वीएसएनएल (अब मैसर्स टीसीएल) की अतिरिक्त भूमि को मैसर्स एचपीआईएल के पक्ष में करने हेतु प्रबंध योजना को अंतिम रूप देने हेतु शीर्षकों के संबंध में यथा सतर्कता, भूमि उपयोग में बदलाव और अन्य सभी प्रारंभिक कदम उठाने का कार्य करना होगा। इनके अतिरिक्त, कंपनी को मैसर्स टीसीएल से एचपीआईएल के पक्ष में अतिरिक्त भूमि के अंतरण हेतु स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान भी करना होगा। लेखाओं के उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत साम्यता इन्फ्यूजन और पर्याप्त निधियों की उपलब्धता लंबित होने के कारण स्टांप ड्यूटी और विधिक परामर्शदाता के भुगतान पर किया गया व्यय "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

7.	**नकद और नकद समकक्ष**		
	क) हाथ रोकड़	-	-
	ख) अनुसूचित बैंकों के पास शेष		
	अल्पावधि जमा पर	74,24,739	110,72,176
	चालू बैंक खाता पर	60,174	82,774
		74,84,913	**111,54,950**
8.	**अल्पावधि, ऋण और अग्रिम**		
	अल्पावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	-	20,639
	ब्याज आय पर टीडीएस	2,42,472	1,23,271
		2,42,472	**1,43,910**

(राशि रू. में)

		31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
9.	**अन्य स्रोतों से आय**		
	अल्पावधि बैंक जमा पर अर्जित ब्याज आय	5,88,125	6,16,354
	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	-	22,000
		5,88,125	**6,38,354**
10.	**वित्त लागत**		
	भारत सरकार से ऋण पर ब्याज	5,00,000	5,00,000
		5,00,000	**5,00,000**
11.	**अन्य प्रशासनिक तथा विविध व्यय**		
	लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक	23,000	11,500
	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	22,000	17,840
	विविध व्यय	950	10,000
	मुद्रण और लेखन सामग्री	6,000	6000
	स्थानीय परिवहन	-	1792
	वेतन, अनुलाभ और रिटेनरशिप	1,38,000	1,11,933
		1,89,950	**1,59,065**

12. <u>प्रति शेयर आमदनी</u>

कर के बाद लाभ	(1,01,825)	(20,711)
इक्विटी शेयरधारकों के मुताबिक लाभ और नुकसान	(1,01,825)	(20,711)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	50,000	50,000
प्रति शेयर मूल तथा कम आमदनी	(2.04)	(0.41)
प्रति शेयर का नाम-मात्र मूल्य	10	10

<u>टिप्पणियाँ खाते में:</u>

13. दीर्घकालिक उधार, व्यापार देय, अन्य वर्तमान देनदारियों, व्यापार प्राप्तियों और अन्य अल्पावधि ऋण और अग्रिम के विरुद्ध पूर्वगामी तुलन-पत्र में दिखाए गए शेष राशि पुष्टि के अधीन हैं।
14. चालू वर्ष और पिछले वर्ष के आंकड़े निकटतम रुपया तक गोल कर दिए गए हैं।
15. वर्ष के दौरान किसी भी समय निदेशकों द्वारा की जाने वाली अधिकतम राशि: शून्य
16.

<u>लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक</u>	**31 मार्च, 2017**	**31 मार्च, 2016**
सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क	20,000	10,000
उपर्युक्त पर सेवा-कर	3,000	1500
	23,000	**11,500**

17. आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रदान नहीं किया गया:
कंपनी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति / विभाग द्वारा दावेदार / दावा दायर नहीं किया गया है: शून्य
18. कंपनी को सूक्ष्म और मझौले उद्यम अधिनियम, 2006 के तहत बैलेंस शीट की तारीख के तहत अपने स्थिति के बारे में आपूर्तिकर्ता से कोई सूचना नहीं मिली है इसलिए ऐसा कोई खुलासा नहीं कहा गया है कि कार्य किया गया है।
19. संबंधित पार्टी लेनदेन (एस -18 के अनुसार)
सभी संबंधित पार्टियों को प्रबंधन द्वारा पहचाने गए हैं और ऑडिटरों द्वारा भरोसा किया है।
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी:
श्री सौरभ कुमार तिवारी (अध्यक्ष सह एमडी)
श्री शीबा पी मोहपात्र (निदेशक)
20. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण

रुपये में राशि

लेनदेन की प्रकृति	2016-17	2015-16
	उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट	उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट
प्रबंध निदेशक को वेतन	शून्य	शून्य
निदेशक को वेतन	शून्य	शून्य
देय शेष वेतन का भुगतान	शून्य	शून्य

21. आयकर के तहत संचित घाटे के कारण आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि चटाई प्रावधान किया गया है।

22. कंपनी एक छोटे और मध्यम आकार की कंपनी (एसएमसी) है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के संबंध में सामान्य निर्देशों में परिभाषित है। तदनुसार, कंपनी ने एक छोटे और मध्यम आकार की कंपनी पर लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया है ।

23. पिछले वर्षों के आंकड़ों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्संगणित किए गए हैं जहां कहीं भी आवश्यक है।

24. नोट 1 से 24 खाते का एक अभिन्न अंग बनाते हैं और प्रमाणित किए गए हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

यहां तक की तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

एईपीएन एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एफआरएन: 05842 एन)

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड

शिबा पी मोहपात्रा	सौरभ कुमार तिवारी
निदेशक	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 06748009	डी आई एन: 03606497

(सीए अनिल ईशपुनियानी)

साथी

एमआरएन: 096313

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 31-07-2017

हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढांचे के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के वित्तीय-विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया सांविधिक लेखा-परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा-परीक्षण संबंधी मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय-विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह दिनांक 31 जुलाई, 2017 के उनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हेमिस्फियर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड के वित्तीय-विवरणों की अनुपूरक लेखा-परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय किया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक के लिए
तथा उनकी ओर से

ह0/-
(पी.के. तिवारी)
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
(डाक तथा दूरसंचार)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक:10.08.2017

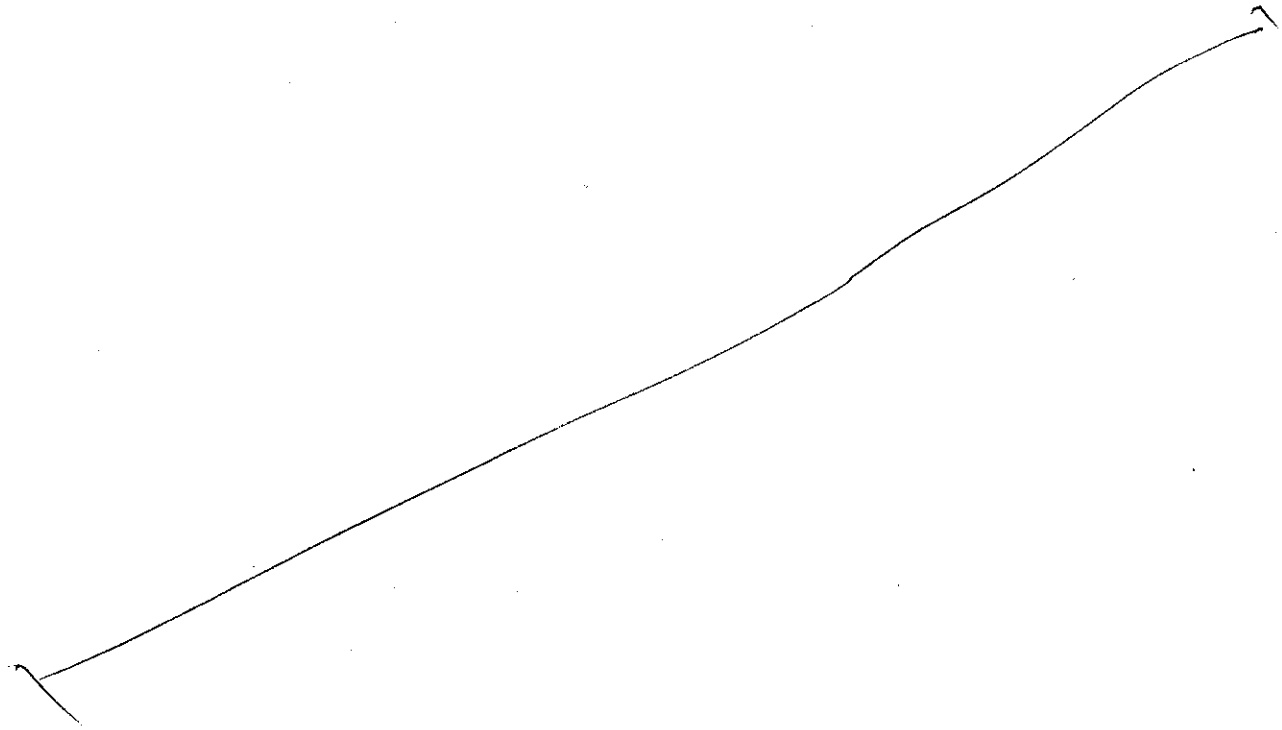

Board of Directors

Chairman & Managing Director
Shri Saurabh Kumar Tiwari

Directors

Shri C V Manoj Kumar
Shri Shiba Prasad Mohapatra

Auditor

Statutory Auditor
M/s AEPN & Associates
Chartered Accountants
309 & 516, Jaina Tower-1
District Centre, Janakpuri
New Delhi-110058

Preface: Hemisphere Properties India Limited (HPIL)

At the time of strategic sale of 25% equity stake in Videsh Sanchar Nigam Limited (now Tata Communications Limited - TCL) in the year 2002, surplus land measuring 773.13 acres was identified out of total 1230.13 acres of land at four stations and decided that this land will not be a part of disinvestment bid and will be de-merged into a separate resulting Company.

Subsequently, a Resulting Company by the name Hemisphere Properties India Limited (HPIL) was incorporated in January 2005 and Government of India acquired majority shareholding of 51.12% in 2014 and assumed management control in the Company. HPIL has thus become a Public Sector Undertaking (PSU) under the Department of Telecommunications, Ministry of Communications. Among other things the object of the company is to construct, acquire, hold, manage, develop, administer, protect, preserve and deal in any other manner with surplus land, including sale and purchase.

Substantial progress has been made to finalize the 'Scheme of Arrangement' to facilitate de-merger of surplus land from TCL to HPIL. Due diligence on the title deed, physical verification, demarcation and the process of transfer of Surplus Land is underway. After completing various statutory procedures, the 'Scheme of Arrangement' shall be placed before the National Company Law Tribunal (NCLT) / Ministry of Corporate Affairs. Necessary steps have been initiated for increase in authorized share capital, equity infusion, de-materialisation of shares, listing, filing with Competition Commission of India, etc.

Homeshore Properties India Limited
CIN: U70101DL2005GOI132162
Regd Office Address: Room No.409, Sanchar Bhawan
Ashok Road, New Delhi- 110001
Email ID: ddglf2-dot@nic.in
Contact: 011- 23372136

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Friday, 22nd day of September, 2017 at 3:00 P.M. at Committee Room 2nd Floor, Sanchar Bhawan, Ashoka Road, New Delhi - 110001 to transact the following businesses: -

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as on 31st March, 2017, the Profit and Loss Account for the year ended on that date and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.
2. To appoint a Director in place of Mr. Saurabh Kumar Tiwari (DIN: 03606497), who retires by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To consider and fix the Remuneration of the Auditors for the Financial Year 2017-18.

SPECIAL BUSINESS:

4. **Increase in the Authorized Share Capital of the Company:**

   To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Section 61(1)(a) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for time being in force) consent of Members be and is hereby accorded to increase the authorized share capital of the Company from Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakhs) divided into 2,50,000 (Two Lakhs Fifty Thousand) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each to Rs. 100,000,000,000/- (Rupees Ten Thousand Crores) divided into 9,000,000,000 (Nine Hundred Crores) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each ranking pari- pasu with existing Equity Shares of the company and 1,000,000,000 (One Hundred Crores) preference shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and that in Clause V of the Memorandum of Association of the Company, for the words and figures

   "The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakhs) divided into 2,50,000 (Two Lakhs Fifty Thousand) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each" the following shall be substituted:

   "The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 100,000,000,000/- (Rupees Ten Thousand Crores) divided into 9,000,000,000 (Nine Hundred Crores) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each and 1,000,000,000 (One Hundred Crores) Preference Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each".

   RESOLVED FURTHER THAT all directors of the Board be and are hereby jointly and severally authorised to do all such act, things to give effect to the resolution and to file necessary forms with Registrar of Companies."

5. To Borrow Money under Section 180 of the Companies Act, 2013:

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of section 180(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 or any other law for the time being in force (including any statutory modification or amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force) and in terms of the article of association of the Company, the Consent of the members of the company, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the "Board", which term shall include any committee constituted by the Board or any person(s) authorized by the Board to exercise the power conferred on the Board by this resolution) to borrow, from time to time, such sums of monies on such terms and conditions and with or without security as may be considered fit for the purpose of the business of the Company, notwithstanding that monies to be so borrowed together with the monies already borrowed by the Company (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) may exceed the aggregate of the paid up share capital and free reserves of the Company provided however, that the total borrowing outstanding at any one time shall not exceed Rs. 50 Crores.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to do and perform all such acts, deeds and things as may be necessary, desirable or expedient to give effect to this Resolution including filling of forms with registrar of Companies."

For and on behalf of the Board of
Hemisphere Properties India Limited

(Saurabh Kumar Tiwari)
Managing Director
DIN 03606497
ADDRESS: Type D -I /E 701, Central Govt. Officers Apartment Bapu Dham, Chanakyapuri, New Delhi 110021

Place: Delhi
Date: 25.08.2017